



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012024-251386
CG-DL-E-17012024-251386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2024/पौष 26, 1945

No. 45]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2024/PAUSHA 26, 1945

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2024

फा. सं. एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-I-एचक्यू(ई).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिक्रियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है), के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,—

(क) खंड (छक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

'(छख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप" से वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में है;'; और

(ख) खंड (ड) में, "या जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमेट्रिक सूचना का अद्यतीकरण" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. मूल विनियमों में, विनियम 11 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"11. नामांकन केंद्र पर सूचना को संग्रहित करना.—(1) ऑपरेटर—

(क) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा अनुसूची-1 में दिए हुए प्रपत्र में प्रस्तुत जनसांख्यिकीय सूचना; और

(ख) प्राधिकरण द्वारा जो सॉफ्टवेयर प्रदत्त या अनुमोदित किया गया है केवल उसका उपयोग करते हुए बायोमेट्रिक सूचना,

को प्रग्रहित (कैप्चर) करेगा।

(2) विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर, ऑपरेटर—

(क) प्रत्येक ऐसे दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रति बनाएगा;

(ख) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रग्रहित (कैप्चर) की गई सूचना और खंड (क) में निर्दिष्ट प्रति की सटीकता की पड़ताल करने का अवसर देगा और, ऐसी पड़ताल के पश्चात्, ऐसी सूचना और प्रति को सीआईडीआर को अपलोड करेगा;

(ग) ऐसे किसी दस्तावेज की भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रति को बनाएगा या संग्रहित नहीं करेगा, सिवाय—

(i) खंड (ख); या

(ii) अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं अन्य विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी किसी नीति, प्रक्रिया, दिशानिर्देश, आदेश, कार्यप्रणाली, मानक, विनिर्देशन या अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट उपबंधों,

के अनुसार;

(घ) ऐसे दस्तावेज वापस करेगा; और

(ङ) नामांकन चाहने वाले व्यक्ति को ईआईडी और अन्य नामांकन विवरण से युक्त एक पावती प्रदान करेगा।

(3) नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनुसरण की जाने वाली कार्यप्रणालियाँ, प्रक्रियाएं, मानक और दिशानिर्देश, और इसे संपादित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रपत्र, खाके (टेम्पलेट्स) और जांच पड़ताल सूची (चेकलिस्ट्स), ऐसी होंगी जैसी प्राधिकरण इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।"

4. मूल विनियमों में, विनियम 16क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"16क. दस्तावेज या सूचना को अद्यतित करना.—एक आधार नंबर धारक, उसे समनुदेशित आधार नंबर के सृजन की तारीख से 10 वर्ष की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर, अनुसूची-1 में दिए गए ऐसे प्रपत्र जो ऐसे आधार नंबर धारक को अनुप्रयोज्य हो या

प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन पर प्रावधानित ऑनलाईन प्रपत्र में, विनियम 10 में निर्दिष्ट पहचान के सबूत और पते के सबूत को साक्ष्यित करने वाले दस्तावेजों या सूचना को प्रस्तुत करके और—

- (क) अधिप्रमाणन करके और ऐसे दस्तावेजों को, मूल में, एक नामांकन केंद्र पर विनियम 10 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में यथा उपबंधित के समान रीति से प्रस्तुत करके;
- (ख) प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन पर ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन, जैसी भी स्थिति हो, पर इस प्रयोजनार्थ उपबंधित रीति में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से *अपलोड* करके; या
- (ग) उक्त सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचना को, ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति दे करके,

कम से कम एक बार अद्यतित कर सकेगा, ताकि केंद्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार में उसकी सूचना की सतत शुद्धता सुनिश्चित करने में सहायता हो :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपलोडिंग या इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्ति प्राधिकरण द्वारा अद्यतीकरण की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा इसे समर्थित किए जाने के अध्यक्षीन होगा।"

5. मूल विनियमों में, विनियम 19 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"19. आधार नंबर धारक की सूचना को अद्यतन करना.—(1) कोई आधार नंबर धारक जो सीआईडीआर में उसकी सूचना को एक नामांकन केंद्र पर अद्यतित करना चाहता है, अनुसूची-1 में दिए गए ऐसे प्रपत्र जो ऐसे आधार नंबर धारक को अनुप्रयोज्य हो, में आवेदन प्रस्तुत करेगा, अधिप्रमाणन करेगा और—

- (क) नामांकन केंद्र पर, मूल में, सत्यापन और स्कैन करने के लिए, पहचान का सबूत और पते का सबूत साक्ष्यित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों और, जहां अनुप्रयोज्य हो, जन्म तिथि का सबूत या संबंध का सबूत या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करेगा; या
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचना को, ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति देगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रस्तुतिकरण या सूचना की इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्ति ऐसे अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित किए जाने के अध्यक्षीन होगा।

(2) एक आधार नंबर धारक जो प्राधिकरण की वेबसाइट या मोबाइल ऐप्लिकेशन का उपयोग करके सीआईडीआर में उसकी सूचना को अद्यतित करना चाहता है—

- (क) ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन, जैसी भी स्थिति हो, पर ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी ऐसे अद्यतीकरण के लिए वहाँ प्रावधानित ऑनलाईन प्रपत्र में भरना अपेक्षित हो; और
- (ख) ऐसी वेबसाइट या ऐप्लिकेशन पर, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाले एक या अधिक दस्तावेजों की प्रति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में *अपलोड* करेगा, या ऐसे सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचना को ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के डेटाबेसों के व्यवहारी प्राधिकारियों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अभिप्राप्त करने के लिए उसकी सहमति देगा :

परन्तु यह कि ऐसा *अपलोड* करना या इलेक्ट्रॉनिक अभिप्राप्ति ऐसे अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित किए जाने के अध्यक्षीन होगी।

(3) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि आधार नंबर धारक ने पूर्व में उसके संबंध में—

- (क) जन्म तिथि की सूचना एक बार;
- (ख) लिंग की सूचना एक बार; या
- (ग) नाम की सूचना दो बार,

अद्यतित की है तो ऐसी सूचना का अद्यतीकरण केवल ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(4) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी एक सूची अनुसूची-II में है।

(5) अद्यतीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में संग्रहित सूचना का सत्यापन अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या उप-विनियम (1) के खंड (ख) या उप-विनियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सबूतों को साक्ष्यित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक सूचना के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु यह कि—

- (क) केंद्रीय सरकार या एक राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी; या
- (ख) ऐसी सूचना या दस्तावेजों की तैयारी या अनुरक्षण से संबंधित किसी प्राधिकरण,

की सहायता ऐसे सत्यापन के प्रयोजनार्थ ली जा सकेगी।

(6) ऑपरेटर, नामांकन केंद्र पर अद्यतीकरण के लिए सूचना संग्रहित करते समय, विनियम 11 के अंतर्गत एक नामांकन केंद्र पर नामांकन के लिए सूचना के संग्रहण के लिए अनुप्रयोज्य अपेक्षाओं का, यथायोग्य परिवर्तनों सहित, पालन करेगा।

(7) नामांकन केंद्र पर अद्यतीकरण के लिए सूचना के संग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर, ऑपरेटर आधार नंबर धारक को एक ऐसे नंबर से युक्त अभिस्वीकृति देगा जो उसे संग्रहित सूचना के प्रसंस्करण की स्थिति ज्ञात करने में समर्थ बनाए।"।

6. मूल विनियमों में, अध्याय-VI में, उक्त अध्याय के शीर्षक के नीचे, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
"26क. निर्वचन—इस अध्याय और अनुसूची-VI में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, एक आधार नंबर के संबंध में, "रद्द करना" या "लोप करना" अभिव्यक्तियों का अर्थ ऐसे आधार नंबर का लोप होना होगा, और उनके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे।"

7. मूल विनियमों में, विनियम 28क में, "समय-समय पर" शब्दों के स्थान पर, "समय-समय पर, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का 16) और उसके अंतर्गत बनाए गए आदेश और दिए गए निर्देश, या विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम" शब्द, कोष्ठक और अंक, अंतःस्थापित किए जाएंगे।

8. मूल विनियमों में, "अनुसूची-I", "अनुसूची-II" और "अनुसूची-VI" के लिए क्रमशः, निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

"अनुसूची-I

[विनियम 9,10(1), 16क और 19(1) देखें]

प्रपत्र 1: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

(क) निवासी भारतीय, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय (18 वर्ष और अधिक आयु) के लिए
कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतीकरण
2	निवास की स्थिति : <input type="checkbox"/> निवासी भारतीय या <input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय (एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे घोषणा का पैरा 1(ग) देखें}
3	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) : (क) नाम : {कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें} (ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) (घ) ईमेल : <input type="text"/> (ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए) (क) पता : द्वारा (ऐच्छिक) : मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट : सड़क : भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) : वार्ड नंबर : क्षेत्र / इलाका / सेक्टर : गांव/नगर/शहर : डाकघर (अनिवार्य) : पिन कोड (अनिवार्य) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> उप-जिला : जिला : राज्य : (ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : (ii) पते का सबूत (पीओए) : (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) :
6	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (क) एचओएफ के ब्यौरे : (i) नाम : आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (ii) आवेदक से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण के लिए) : <input type="checkbox"/> पति या पत्नी <input type="checkbox"/> संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) <input type="checkbox"/> भाई या बहन (ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए। एचओएफ के हस्ताक्षर : <input type="text"/>
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना : (क) आवेदक का आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण घोषणा 1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;

<p>(ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और</p> <p>(ग) मैं भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) हूँ या मैं एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) हूँ।</p>	
2.	मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
3.	मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।
4.	मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	
आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :	
सत्यापनकर्ता का नाम :	
तारीख और समय :	

* यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमति देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

प्रपत्र 1 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	उद्देश्य	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
3	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (मिस्टर, सुश्री/मिज़, मिसेज़, श्री, श्रीमती, कुमारी, थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/जस्टिस, रक्षा सेवा रैंक, ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम / एलिस (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया डीओबी या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए अनिवार्य ऐच्छिक
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस / टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		

(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (7) यदि आवेदक एनआरआई है और उसके पास भारत में पते के लिए पीओए नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 2 का प्रयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) एनआरआई के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट एकमात्र स्वीकार्य पीओआई है।	अनिवार्य
6	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए। (4) एचओएफ-आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक संरक्षक, पति या पत्नी, संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) या भाई या बहन होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [**]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [**]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [**]

* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

प्रपत्र 2: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीयों (18 वर्ष और अधिक आयु) के लिए कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	<p>जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :</p> <p>(क) नाम : {कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}</p> <p>(ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर)</p> <p>(ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)</p> <p>(घ) ईमेल (अनिवार्य) : <input type="text"/> (ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
4	<p>दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)</p> <p>(क) पता (जैसा वैध भारतीय पासपोर्ट में दिया गया है):</p> <p>(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</p> <p>(i) पहचान का सबूत (पीओआई) : वैध भारतीय पासपोर्ट (ii) पते का सबूत (पीओए) : वैध भारतीय पासपोर्ट (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (एन्ड्रिक्):</p>
5	<p>एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :</p> <p>(क) एचओएफ के ब्यौरे : (i) नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(ii) आवेदक से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण के लिए) : <input type="checkbox"/> पति या पत्नी <input type="checkbox"/> संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) <input type="checkbox"/> भाई या बहन</p> <p>(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।</p> <p>एचओएफ के हस्ताक्षर : <input type="text"/></p>
6	<p>अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :</p> <p>(क) आवेदक का आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण</p>
घोषणा	
<p>1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और (ग) मैं एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) हूँ।</p> <p>2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।</p> <p>3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम,</p>	

2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।	
4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।	
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :
सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

* यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमति देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

नोट : इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 2 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (मिस्टर, सुश्री/मिज़, मिसेज़, श्री, श्रीमती, कुमारी, थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/जस्टिस, रक्षा सेवा रैंक, ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम / एलिअस (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया डीओबी या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) अनिवासी-भारतीय के मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) भरा गया विवरण वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के समान होना चाहिए। (2) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य

		(3) वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य पीओआई और पीओए है।	
5	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के व्यौर	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, व्यौर भरें। (2) कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए। (4) एचओएफ-आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक संरक्षक, पति या पत्नी, संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) या भाई या बहन होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, व्यौर भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ []
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ []
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ []

* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

नोट : आवेदक के विदेशी पते को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसा प्रभार देय होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

प्रपत्र 3: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

(क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका
(5 वर्ष और उससे अधिक और 18 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	निवास की स्थिति : <input type="checkbox"/> भारतीय निवासी या <input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय (एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे दिये घोषणा के पैरा 1(ग) को देखें}
3	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :
	(क) नाम : {कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}
	(ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक
	(ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)

	(ट्रांसजेंडर)	
	(घ) ईमेल :	(ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/>
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि	
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)	
	(क) पता : द्वारा (ऐच्छिक) :	
	मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट :	सड़क/रोड/लेन:
	भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) :	वार्ड नंबर : क्षेत्र / इलाका / सेक्टर :
	गांव/नगर/शहर :	डाकघर (अनिवार्य) : पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text"/>
	उप-जिला :	जिला : राज्य :
	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	(i) पहचान का सबूत (पीओआई) : (ii) पते का सबूत (पीओए) : (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीवी) (ऐच्छिक) :
6	एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	
	(क) एचओएफ के ब्यौरे :	(i) नाम : आधार नंबर <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	(ii) बालक/बालिका से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक	
	(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	
	मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए।	
	एचओएफ के हस्ताक्षर :	
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :	
	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण	
	घोषणा	
	1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हूँ; और (ग) बालक/बालिका भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है या वह एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।	
	2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।	
	3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।	

4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।		
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	माता, पिता या विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :	
सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

प्रपत्र 3 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
3	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द (ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया डीओबी या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	एनआरआई के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस / टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (7) यदि बालक/बालिका एनआरआई है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए पीओए नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 4 का उपयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने	अनिवार्य

		और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) एनआरआई बालक/बालिका के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य पीओआई है।	
6	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/]

* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

प्रपत्र 4: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

भारत के बाहर के पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष और उससे अधिक और 18 वर्ष से कम आयु) के लिए कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) : (क) नाम : {कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें} (ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) (घ) ईमेल (अनिवार्य) : <input type="text"/> (ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए) (क) पता (जैसा वैध भारतीय पासपोर्ट में दिया गया है) :

	(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	(i) पहचान का सबूत (पीओआई) : वैध भारतीय पासपोर्ट (ii) पते का सबूत (पीओए) : वैध भारतीय पासपोर्ट (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) :	
5	एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
	(क) एचओएफ के ब्यौरे :	(i) नाम :	आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		(ii) बालक/बालिका से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक	
	(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)		
	मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए।		
	एचओएफ के हस्ताक्षर :		
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	<input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण	
	घोषणा		
	1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हूँ; और (ग) बालक/बालिका एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।		
	2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।		
	3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।		
	4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।		
	सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	माता, पिता या विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :	
	सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

नोट : इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 4 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
---------	----	--------	--------------------

1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द (ऐकिसिआस्टिकल उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) अनिवासी-भारतीय के मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) भरा गया विवरण वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के समान होना चाहिए। (2) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य पीओआई और पीओए है।	अनिवार्य
5	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
---------	------	-----

1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/]

* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

नोट : आवेदक के विदेशी पते को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसा प्रभार देय होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

प्रपत्र 5: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

(क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका
(5 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	निवास की स्थिति : <input type="checkbox"/> भारतीय निवासी या <input type="checkbox"/> अनिवासी भारतीय (एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे दिये घोषणा के पैरा 1(ग) को देखें}
3	जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) : (क) नाम : {कृपया नाम को किसी शीर्षक और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें} (ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा) (घ) ईमेल : <input type="text"/> (ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए) (क) पता : द्वारा (ऐच्छिक) : मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट : <input type="text"/> सड़क/रोड/लेन : <input type="text"/> भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) : <input type="text"/> वार्ड नंबर : <input type="text"/> क्षेत्र / इलाका / सेक्टर : <input type="text"/> गांव/नगर/शहर : <input type="text"/> डाकघर (अनिवार्य) : <input type="text"/> पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> उप-जिला : <input type="text"/> जिला : <input type="text"/> राज्य : <input type="text"/> (ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : <input type="text"/> (ii) पते का सबूत (पीओए) : <input type="text"/> (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीवी) (ऐच्छिक) : <input type="text"/>
6	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (क) एचओएफ के ब्यौरे : (i) माता का नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> और/या (ii) पिता का नाम : <input type="text"/> आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

		(iii) यदि केवल एक माता-पिता का ब्यौरा दिया गया है, तो क्या अन्य माता-पिता वर्तमान में बालक/बालिका के साथ नहीं रह रहे हैं:		<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
या					
(iv) विधिक संरक्षक का नाम :				आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
(v) बालक/बालिका से संबंध :		<input type="checkbox"/> माता और/या	<input type="checkbox"/> पिता	या <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक	
(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :					
<i>(पूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i>					
मैं/हम ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे/हमसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एतद्वारा सहमति देती/दिता/दते हूँ/हैं कि मेरी, या हम दोनों में से किसी एक की, बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए हम में से एक की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।					
हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक :		
7 अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :					
(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :		<input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण			
घोषणा					
1. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं/हम और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और (ग) बालक/बालिका भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है या वह एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।					
2. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे/हमारे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।					
3. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।					
4. मैं/हम पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देती/दिता/दते हूँ/हैं।					
हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक :		
सत्यापनकर्ता का नाम :		हस्ताक्षरकर्ता का नाम :		तारीख और समय :	

प्रपत्र 5 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

3	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्टूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा। (5) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	एनआरआई के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस / टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
5	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (7) यदि बालक/बालिका एनआरआई है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए पीओए नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 6 का उपयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) एनआरआई बालक/बालिका के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य पीओआई है।	अनिवार्य
6	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) और (ii) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (4) कृपया (v) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (5) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक सरंक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य

	और/या		
	(ii) पिता का नाम :	आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
	(iii) यदि केवल एक माता या पिता का ब्यौरा दिया गया है तो, दूसरा वर्तमान में बालक/बालिका के साथ रह रहा है या नहीं :	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
या			
(iv) विधिक संरक्षक का नाम :	आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
(v) बालक/बालिका से संबंध :	<input type="checkbox"/> माता और/या	<input type="checkbox"/> पिता	या <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक
(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :			
<i>(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)</i>			
मैं/हम ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे/हमसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करती/करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम एतद्वारा सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं कि मेरी, या हम दोनों में से किसी एक की, बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन के जरिए हम में से एक की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए, और यह कि अधिप्रमाणित आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए।			
हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक :
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :	<input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण		
घोषणा			
1. मैं/हम एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करती/करता/करते हूँ/हैं कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी/हमारी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं/हम और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और (ग) बालक/बालिका भारत का/की एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।			
2. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे/हमारे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।			
3. मैं/हम समझती/समझता/समझते हूँ/हैं कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।			
4. मैं/हम पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देती/देता/देते हूँ/हैं।			
हस्ताक्षर :	माता :	और/या पिता :	या विधिक संरक्षक :
सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकर्ता का नाम :		तारीख और समय :

नोट : इस प्रपत्र का उपयोग उस तारीख को और से किया जा सकता है जिस पर प्राधिकरण उसकी वेबसाइट के जरिए इसकी सार्वजनिक सूचना देता है।

प्रपत्र 6 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि) और उपनाम (उर्फ ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में उनका नाम हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) निशान लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि बालिका/बालक का जन्म 1 अक्तूबर, 2023 को या इसके बाद हुआ तो जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण-पत्र एक मात्र सबूत होगा। (5) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	एनआरआई के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
3	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
4	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) वैध भारतीय पासपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार विवरण दर्ज करें। (2) आधार पत्र दर्ज पते पर भारतीय डाक के द्वारा भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) एनआरआई के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य पीओआई और पीओए है।	अनिवार्य
5	एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ के ब्यौरे	(1) कृपया (i) और (ii) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (iii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) कृपया (iv) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (4) कृपया (v) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (5) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए।	अनिवार्य

		(2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	
6	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	निःशुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : निःशुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ [*/]
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : निःशुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4.	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/]

* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

नोट : आवेदक के विदेशी सहायकों को आधार पत्र भेजने के लिए, ऐसे शुल्क देय होंगे जो प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर सकता है।

प्रपत्र 7: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

निवासी विदेशी नागरिकों (18 वर्ष या अधिक आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन : <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	राष्ट्रीयता :
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :
	(क) वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा : (i) पासपोर्ट नंबर : (ii) पासपोर्ट की समाप्ति <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iii) भारत में प्रवेश की <input type="text"/> (DDMMYYYY) की तारीख : तारीख : और
	(ख) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक (ओसीआई) का ब्यौरा : (i) ओसीआई नंबर : (ii) ओसीआई कार्ड <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iii) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर : जारी होने की तारीख : या
	(ग) वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) का ब्यौरा : (i) एलटीवी नंबर : (ii) एलटीवी जारी होने <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iii) एलटीवी <input type="text"/> (DDMMYYYY) की तारीख : समाप्ति की तारीख : या
	(घ) वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा : (i) वीजा प्रकार/श्रेणी : (ii) जारी करने की <input type="text"/> (DDMMYYYY) तारीख : तारीख :
	(iii) समाप्ति की <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iv) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण तारीख : नंबर :

<i>या, विदेशी पासपोर्ट सहित ओसीआई/एलटीवी/वीजा के विकल्प में, केवल नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए :</i>		
(ड) प्रस्तुत किए गए दो पहचान के सबूत (पीओआई) दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)		
(i) पहला पीओआई दस्तावेज :	(ii) दूसरा पीओआई दस्तावेज :	
4 जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए, कृपया केवल वही सूचना भरें जिसे अद्यतन किया जाना है):		
(क) नाम : {कृपया किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}		
(ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर)	(ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)	
(घ) ईमेल (अनिवार्य) :	(ड) मोबाइल नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
5 नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि		
6 दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)		
(क) पता : द्वारा (ऐच्छिक) :		
मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट :	सड़क :	
भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) :	वार्ड नंबर :	क्षेत्र / इलाका / सेक्टर :
गांव/नगर/शहर :	डाकघर (अनिवार्य) :	पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
उप-जिला :	जिला :	राज्य :
(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	(i) पहचान का सबूत (पीओआई) : (ii) पते का सबूत (पीओए) : (iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक) :	
7 एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क) एचओएफ का ब्यौरा :	(i) नाम :	आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
(ii) आवेदक से संबंध : <input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक अन्य संबंध (केवल पते के अद्यतीकरण के लिए) : <input type="checkbox"/> पति/पत्नी <input type="checkbox"/> प्रतिपाल्य (वार्ड) <input type="checkbox"/> भाई या बहन		
(ख) संबंध के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)		
मैं ऊपर नामित आवेदक की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को आवेदक के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाएगा।		
एचओएफ के हस्ताक्षर :		
8 अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क) आवेदक का आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : <input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण		
घोषणा		
1. मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि— (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं; (ख) मैं उपरोक्त दस्तावेजों / सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं का/की हकदार हूँ; और		

(ग) मैं एक निवासी विदेशी नागरिक (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनो में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) हूँ।	
2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो मेरा आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।	
3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।	
4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।	
सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	आवेदक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप* :
सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

* यदि आवेदक दिव्यांगजन है, जिसके संबंध में एक विधिक संरक्षक नियुक्त है और ऐसी संरक्षकता का विस्तार चाही गई सहमति देने तक है, तो ऐसा/ऐसी संरक्षक इसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा/करेगी और आवेदन को हस्ताक्षरित करेगा/करेगी।

प्रपत्र 7 भरने के अनुदेश

क्र.सं.	वस्तु	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
2	राष्ट्रीयता	कृपया ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	(क) के साथ (ख),
(ख)	वैध ओसीआई कार्ड का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	(ग) या (घ),
(ग)	वैध एलटीवी का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	या
(घ)	वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	नेपाल और भूटान
(ङ)	प्रस्तुत किए गए 2 पीओआई दस्तावेजों के प्रकार	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	के नागरिकों के लिए, (ङ) ये अनिवार्य है
4	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (मिस्टर, सुश्री/मिज़, मिसेज़, श्री, श्रीमती, कुमारी, थिरु, थिरुमति आदि), सम्मान शब्द (डॉ., प्रो., सर, न्यायमूर्ति/जस्टिस, रक्षा सेवा रैंक, ऐक्लिसिआस्टिकल उपाधि आदि), पेशा/योग्यता/सेवा (डॉ., इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) और अन्य नाम / एलिअस (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) निशान लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य

(ड)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य
6	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ का ब्यौरा	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए। (4) एचओएफ-आधारित पते के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और आवेदक का माता, पिता, विधिक संरक्षक, पति या पत्नी, संतान / प्रतिपाल्य (वार्ड) या भाई या बहन होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	आवेदक का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	सूचना अद्यतीकृत की जाए	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1	नामांकन	₹ [*]
2	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिस) का अद्यतीकरण	₹ [*]
3	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*]
4	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साथ) का अद्यतीकरण	₹ [*]

* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

प्रपत्र 8: आधार नामांकन और अद्यतीकरण

निवासी विदेशी नागरिकों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1	प्रयोजन: <input type="checkbox"/> नामांकन या <input type="checkbox"/> अद्यतन
2	राष्ट्रीयता:
3	<p>राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :</p> <p>(क) वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा : (i) पासपोर्ट नंबर : (ii) पासपोर्ट समाप्ति की तारीख : <input type="text"/> DDMMYYYY (iii) भारत में प्रवेश की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) और</p> <p>(ख) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड का ब्यौरा : (i) ओसीआई नंबर : (ii) ओसीआई कार्ड जारी होने की तारीख : <input type="text"/> DDMMYYYY (iii) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर : या</p> <p>(ग) वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) का ब्यौरा : (i) एलटीवी नंबर : (ii) एलटीवी जारी होने की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iii) एलटीवी समाप्ति की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) या</p> <p>(घ) वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा : (i) वीजा प्रकार/श्रेणी : (ii) जारी करने की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iii) समाप्ति की तारीख : <input type="text"/> (DDMMYYYY) (iv) ई-एफआरआरओ रजिस्ट्रीकरण नंबर : या , ओसीआई /एलटीवी /वीजा के साथ विदेशी पासपोर्ट के विकल्प के रूप में, केवल नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए :</p> <p>(ङ) प्रस्तुत किए गए दो पहचान सबूत (पीओआई) दस्तावेजों के प्रकार : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें) (i) पहला पीओआई दस्तावेज : (ii) दूसरा पीओआई दस्तावेज :</p>
4	<p>जनसांख्यिकीय सूचना (अद्यतीकरण के लिए, कृपया केवल वही सूचना भरें जिसे अद्यतन किया जाना है) :</p> <p>(क) नाम : {कृपया किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}</p> <p>(ख) लिंग : <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग / परलैंगिक (ट्रांसजेंडर) (ग) जन्म तिथि : <input type="text"/> (DDMMYYYY) या आयु : <input type="text"/> वर्ष <input type="checkbox"/> सत्यापित या <input type="checkbox"/> घोषित या <input type="checkbox"/> अनुमानित (केवल आयु के लिए) (घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)</p> <p>(घ) ईमेल (अनिवार्य) : (ङ) मोबाइल नंबर : <input type="text"/></p>
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : <input type="checkbox"/> दस्तावेज सत्यापन या <input type="checkbox"/> परिवार के मुखिया (एचओएफ) द्वारा पुष्टि
6	<p>दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज : (पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)</p> <p>(क) पता : द्वारा (ऐच्छिक) : मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट : सड़क : भूमि-चिन्ह (लैंडमार्क) : वार्ड नंबर : क्षेत्र / इलाका / सेक्टर : गांव/नगर/शहर : डाकघर (अनिवार्य) : पिन कोड (अनिवार्य) : <input type="text"/> उप-जिला : जिला : राज्य :</p> <p>(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार : (i) पहचान का सबूत (पीओआई) : (यूआईडीएआई की वेबसाइट और (ii) पते का सबूत (पीओए) :</p>

	नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	(iii) जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) (ऐच्छिक):
7	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :	
	(क) एचओएफ का ब्यौरा :	(i) नाम : आधार नंबर : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	(ii) बालक/बालिका से संबंध :	<input type="checkbox"/> माता <input type="checkbox"/> पिता <input type="checkbox"/> विधिक संरक्षक
	(ख) संबंध के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :	
	(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)	
	मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए।	
	एचओएफ के हस्ताक्षर :	
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :	
	(क) बालक/बालिका का आधार नंबर :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना :	<input type="checkbox"/> बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) <input type="checkbox"/> नाम <input type="checkbox"/> जन्म तिथि <input type="checkbox"/> लिंग <input type="checkbox"/> पता <input type="checkbox"/> मोबाइल <input type="checkbox"/> ईमेल <input type="checkbox"/> पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण
घोषणा		
1.	मैं एतद्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि—	
	(क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;	
	(ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हूँ; और	
	(ग) बालिका/बालक एक निवासी विदेशी नागरिक (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनो में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है।	
2.	मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।	
3.	मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।	
4.	मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।	
	सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	माता, पिता या विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप* :
	सत्यापनकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

प्रपत्र 8 भरने के अनुदेश

क्र.सं.	वस्तु	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

2	राष्ट्रीयता	कृपया ब्यौरा भरें।	अनिवार्य
3	राष्ट्रीयता और पात्रता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	वैध विदेशी पासपोर्ट का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	(क) के साथ (ख),
(ख)	वैध ओसीआई कार्ड का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	(ग) या (घ),
(ग)	वैध एलटीवी का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	या
(घ)	वैध भारतीय वीजा का ब्यौरा	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए, (ङ)
(ङ)	प्रस्तुत किए गए 2 पीओआई दस्तावेजों के प्रकार	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	ये अनिवार्य है
4	जनसांख्यिकीय सूचना :		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुथ्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द (ऐक्लिमिआस्टिकल उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) का लोप करें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि (डीओबी) या आयु	(1) कृपया जैसा लागू हो, डीओबी या आयु का ब्यौरा भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) निशान लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि पीडीबी उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि (डीओबी) या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) का निशान लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई एसएमएस/टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
5	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया, जैसा लागू हो, केवल एक पर (✓) का निशान लगाएँ।	अनिवार्य
6	दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वतः प्रविष्ट किया जाएगा। (5) पीओए दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	एचओएफ-आधारित नामांकन या पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :		
(क)	एचओएफ का ब्यौरा	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✓) लगाएँ। (3) एचओएफ-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, एचओएफ 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
8	अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :		
(क)	बालक/बालिका का आधार	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य

नंबर		
(ख) सूचना अद्यतीकृत की जाए	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✓) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए फीस

क्र. सं.	सेवा	फीस
1	नामांकन	₹ [*/]
2	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	₹ [*/]
3	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ [*/]
4	पीओआई और पीओए दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ [*/]

* जैसा कि यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ण) के अंतर्गत अधिकृत किया जाए

अनुसूची-II

[विनियम 10(2) और 19(4) देखें]

नामांकन और अद्यतीकरण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची

पांच वर्ष तक की आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्षित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची			
✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है			
● नामांकन प्रकार I : परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन			
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) दस्तावेज
1.	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत और उसके अंतर्गत बनाये नियमों के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी (संबंधित राज्यों में) द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	✓	✓
2.	वैध भारतीय पासपोर्ट (केवल एनआरआई के लिए लागू)	✓	✓
3.	विधिक संरक्षकता साबित करने के लिए दस्तावेज	✓	X
● नामांकन प्रकार II : दस्तावेज आधारित नामांकन			
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज
4.	अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/मान्यताप्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख द्वारा यूआईडीएआई के मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र (केवल आश्रय ग्रह या अनाथालय से संबंधित बालकों/बालिकाओं के लिए)।	✓	✓
● भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपाल और भूटान नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज			

5.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड, उन निवासियों के लिए जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनो में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हों।	✓	X*
6.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट (वैध या समाप्त) के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज।	✓	X*
7.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है, जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनो में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हों।	✓	X*
8.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में, निम्नलिखित दोनों दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : (क) नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) 182 या अधिक दिनों भारत में निवासरत के लिए, भारत नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाण-पत्र	✓	X*

* आधार नामांकन (पांच वर्ष से अधिक) के लिए स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची में पते का सबूत के रूप में दस्तावेज लागू होंगे।

नोट: उपरोक्त सारणीबद्ध व्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत : —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण नोट :

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
- (ग) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए।
- (घ) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- (ङ) पीओआर दस्तावेज में बालक/बालिका और एचओएफ के नाम उल्लेख होना चाहिए।
- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।

- (ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (झ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
- (ट) एचओएफ को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के सबूत (पीओआई) निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-
- भारतीय पासपोर्ट
 - केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
 - केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
 - दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

पांच वर्ष या उससे से अधिक आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्षित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची					
✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है					
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत (पीडीवी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓
2.	पैन कार्ड/ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X
3.	राशन/पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड/ ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	X
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र	✓	✓	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	X
6.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	X	X	✓
7.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार/ पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	X	✓	✓

8.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X	X
9.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र	✓	✓	X	X
10.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✓	✓	✓	X
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।	✓	✓	✓	X
12.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता-प्राप्त शैक्षिक बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद् विश्वविद्यालय या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी मार्क-शीट / प्रमाण-पत्र	✓	X	✓	✓
13.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाण-पत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	X	X
14.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड/ प्रमाण-पत्र	✓	✓	✓	✓
15.	यूआईडीएआई मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र:				

	सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	X	✓	X	X
	राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	X	✓	X	X
	तहसीलदार/ राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	X	✓	X	X
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में)	✓	✓	X	X
	अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल आश्रय गृह या अनाथालय से संबंधित बालकों/बालिकाओं के लिए)	✓	✓	X	X
	संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	X	✓	X	X
	ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✓	X	X
16.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
17.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
18.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X

19.	वैध पंजीकृत विक्री अनुबंध/पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख/पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार/ पट्टा करार/ अवकाश और लाइसेंस करार।	X	✓	X	X
20.	गैस कनेक्शन बिल (3 महीनों से पुराना न हो)	X	✓	X	X
21.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू / नियामक निकाय/ सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✓	X	X
22.	जीवन/चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	X	✓	X	X
23.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	✓	✓
24.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	X	X	✓	X
25.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	X	X
26.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	X	X	✓	X
भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपाल और भूटान नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज					
27.	निवासी जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महीनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत हैं, के वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	X	X	X
28.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	X	X

29.	नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए नेपाल/भूटान का वैध पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं:- (क) वैध नेपाली/भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल/भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सबूत पत्र	✓	X	X	X
30.	जो नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत अन्य निवासी विदेशी नागरिकों के लिए जारी वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध बीजा।	✓	X	X	X
31.	निवासी विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) / विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई) कार्ड धारक, एलटीवी दस्तावेज धारक और नेपाल/भूटान के नागरिक को छोड़कर)	X	✓	X	X

नोट: उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत : —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण लेख:

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ख) पांच वर्ष से कम आयु के बालकों/बालिकाओं के लिए परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन अनिवार्य है (आश्रय गृहों या अनाथालयों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं के अलावा) माता-पिता में से कोई या विधिक संरक्षक परिवार का मुखिया बन सकता है।
- (ग) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पूर्व एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए।
- (घ) एचओएफ आधारित नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है और माता-पिता में से किसी एक द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
- (ङ) पीओआर दस्तावेज में बालक/बालिका और एचओएफ के नाम उल्लेख होना चाहिए।
- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (छ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पते का उपयोग बालक/बालिका के आधार में किया जाएगा।
- (ज) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता अवधि तक ही मान्य होगा। हालांकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (झ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ञ) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक ही मान्य होगा।
- (ट) एचओएफ को बालक/बालिका के नाम पर जारी पहचान के सबूत (पीओआई) निम्न दस्तावेजों में से कोई भी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है :-
- भारतीय पासपोर्ट
 - केंद्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटो युक्त प्रमाण-पत्र यथा अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आदि।
 - केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र।
 - दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।

किसी भी आयु के व्यक्ति के आधार नंबर के नामांकन के लिए पहचान, पते, संबंध या जन्म तिथि को साक्षित करने के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं उनकी सूची					
✓ का अर्थ स्वीकार्य है X का अर्थ अस्वीकार्य है					
क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची (इस तालिकाबद्ध ब्यौरे के नीचे नोट देखें)	नाम और फोटो से युक्त पहचान का सबूत (पीओआई) दस्तावेज	नाम और भारतीय पते से युक्त पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज	बालक/बालिका के नाम और परिवार के मुखिया (एचओएफ) के नाम से युक्त संबंध का सबूत (पीओआर) दस्तावेज	नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि का सबूत (पीडीबी) दस्तावेज
1.	वैध भारतीय पासपोर्ट	✓	✓	✓	✓ *
2.	पैन कार्ड / ई-पैन कार्ड	✓	X	X	X
3.	राशन / पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड / ई-राशन कार्ड	✓	✓	✓	X
4.	मतदाता पहचान पत्र / ई-मतदाता पहचान पत्र, जिसका ब्यौरा भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है।	✓	✓	X	X
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	✓	X	X	X
6.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र	✓	X	X	✓ *

7.	केंद्र सरकार द्वारा जारी /राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी पेंशनर फोटो पहचान पत्र / स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश	✓	X	✓	✓ *
8.	किसान फोटो पासबुक	✓	✓	X	X
9.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / द्वारा जारी सीजीएचएस / ईसीएचएस / ईएसआईसी / मेडी-क्लेम कार्ड	✓	X	X	X
10.	दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत जारी दिव्यांगता पहचान पत्र / दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र	✓	✓	X	X
11.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र / फोटोग्राफ युक्त प्रमाण-पत्र जैसे भामाशाह, अधिवास प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, जन-आधार, मनरेगा/नरेगा जॉब कार्ड, लेबर कार्ड आदि।	✓	✓	✓	X
12.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो युक्त / बिना फोटो का विवाह प्रमाण-पत्र (बिना फोटो के विवाह प्रमाण-पत्र होने की स्थिति में, पुराने नाम और फोटो समर्थित पीओआई दस्तावेज की आवश्यकता है)	✓	✓	✓	X
13.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एसटी / एससी / ओबीसी प्रमाण-पत्र।	✓	✓	✓	X
14.	स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (एसएलसी) / स्कूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी)	✓	X	X	X
15.	केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अंक-तालिका/ प्रमाण-पत्र	✓	X	✓	✓ *
16.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (आरबीआई द्वारा वर्गीकृत) द्वारा जारी विधिवत मुहर लगी और हस्ताक्षरित, फोटोयुक्त पासबुक तथा प्रभारी शाखा प्रबंधक से एक सहायक प्रमाण-पत्र सहित, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि खाताधारक के संबंध में केवाईसी पूरा हो गया है और पते के लिए पते का सबूत है। पासबुक में दर्शाये गए पते के संबंध में पते का सबूत बैंक के अभिलेख में उपलब्ध है।	✓	✓	X	X

17.	अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरबीआई द्वारा अधिसूचित) की पासबुक, जिसमें नाम और फोटोग्राफ (बैंक की सील सहित क्रॉस स्टैम्प) हो तथा बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर हो / डाकघर की बचत खाता पासबुक (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी की मुहर सहित)	X	✓	X	X
18.	बैंक खाता विवरण / क्रेडिट कार्ड विवरण (जारीकर्ता बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर और बैंक स्टैम्प सहित) / डाकघर बचत खाता विवरण (डाकघर के जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित) (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)	X	✓	X	X
19.	ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जारी ट्रांसजेंडर पहचान कार्ड / प्रमाण-पत्र	✓	✓	✓	✓ *
20.	यूआईडीएआई मानक प्रमाण-पत्र प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र:				
	(i) सांसद/विधायक/ एमएलसी/नगर पार्षद	X	✓	X	X
	(ii) राजपत्रित अधिकारी समूह 'ए'/ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अधिकारी	X	✓	X	X
	(iii) तहसीलदार / राजपत्रित अधिकारी समूह 'बी'	X	✓	X	X
	(iv) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) / राज्य स्वास्थ्य विभाग अधिकारी / राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक या उनके नामांकित के राजपत्रित (माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आपराधिक अपील संख्या 135/2010 में दिनांक 19.05.2022 के अनुसरण में)	✓	✓	X	X
	(v) अधीक्षक / वार्डन / मैट्रन / मान्यता-प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों की संस्था के प्रमुख (केवल बालकों/बालिकाओं के लिए संबंधित आश्रय गृह या अनाथालय)	✓	✓	X	X
	(vi) संस्थान के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित मान्यता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थान (केवल संबंधित संस्थान के छात्रों के लिए)	X	✓	X	X

	(vii) ग्राम पंचायत प्रधान या मुखिया या इसके समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए), ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)	X	✓	X	X
21.	बिजली का बिल (प्रीपेड/पोस्टपेड बिल, अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
22.	पानी का बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
23.	टेलीफोन लैंडलाइन बिल/पोस्टपेड मोबाइल बिल/ब्रॉडबैंड बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
24.	संपत्ति कर रसीद (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✓	X	X
25.	वैध पंजीकृत बिक्री अनुबंध / पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत उपहार विलेख / पंजीकृत या गैर पंजीकृत किराया करार / पट्टा करार / अवकाश और लाइसेंस करार	X	✓	X	X
26.	गैस कनेक्शन बिल (अधिकतम 3 महीने पुराना हो)	X	✓	X	X
27.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / नियामक निकाय / सांविधिक निकाय द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र (अधिकतम 1 वर्ष पुराना हो)	X	✓	X	X
28.	जीवन / चिकित्सा बीमा पॉलिसी (पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक मान्य)	X	✓	X	X
29.	जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	✓	✓
30.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिवार हकदारी दस्तावेज	X	X	✓	X
31.	जेल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी किया गया कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी)	✓	✓	X	X
32.	परिवार के मुखिया (एचओएफ) यह प्रमाणित करते हुए स्व-घोषणा कि वह व्यक्ति एचओएफ के साथ उसी पते पर रह रहा है, केवल एचओएफ के पते के मामले में वैध (केवल एचओएफ के इमिडिएट परिवार के सदस्य/सदस्यों के पते के अद्यतीकरण के संबंध में उपयोग हेतु)	X	X	✓	X
33.	विधिक संरक्षकता सिद्ध करने के लिए दस्तावेज	X	X	✓	X
भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों (ओसीआई)/नेपाल और भूटान नागरिकों और निवासी विदेशी नागरिकों के लिए लागू दस्तावेज					
34.	वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध ओसीआई कार्ड	✓	X	X	X

35.	अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मूल नागरिकों के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को जारी वैध दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) दस्तावेज सहित विदेशी पासपोर्ट (वैध या वैधता समाप्त)	✓	✓	X	X
36.	नेपाल/भूटान के नागरिक के लिए नेपाल/भूटान का पासपोर्ट। पासपोर्ट उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज एक ही पते वाले प्रस्तुत किए जा सकते हैं :- (क) नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र (ख) नेपाल / भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र (ग) भारत में नेपाली मिशन / रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र	✓	X	X	X
37.	अन्य विदेशी नागरिकों को वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध वीजा जारी किया जाता है	✓	X	X	X
38.	विदेशी नागरिक को विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) / विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या आवासीय परमिट (ओसीआई) कार्ड धारकों, एलटीवी दस्तावेज धारकों और नेपाल / भूटान नागरिकों को छोड़कर)	X	✓	X	X
नाम, लिंग और जन्म तिथि (डीओबी) के अपवादात्मक मामलों के लिए लागू दस्तावेज					
39.	नाम परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : नए नाम की राजपत्र अधिसूचना, फोटो सहित पुराने नाम के किसी समर्थनकारी पीओआई दस्तावेज (पहले/पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए) / तलाक की डिक्री / गोद लेने का प्रमाण-पत्र / विवाह प्रमाण-पत्र के सहित	✓	X	X	X
40.	लिंग परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : यदि निवासी ने सर्जरी द्वारा लिंग बदला है तो सर्जन से चिकित्सा प्रमाण-पत्र	✓	X	X	X
41.	जन्म तिथि परिवर्तन के अपवादात्मक मामलों के लिए : जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अंतर्गत अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र	X	X	X	✓

नोट: उपरोक्त सारणीबद्ध ब्यौरे में सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज केवल तभी स्वीकार्य होगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, नामत : —

- (क) यह वर्तमान में वैध है (जब तक कि ऊपर स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधानित न किया गया हो);
- (ख) जिस व्यक्ति के संबंध में ऐसा दस्तावेज जारी किया गया है वह उसका हकदार है;
- (ग) यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है या यूआईडीएआई को अन्यथा ऑनलाइन प्राप्य है या डिजिटल साधनों से ऑफलाइन सत्यापनीय है, तो यदि ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है तो सूचना सत्यापित होती है; और
- (घ) पहचान, पते, जन्म तिथि या संबंध को साक्ष्यित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज को जारी करने वाले प्राधिकारी ने ऐसी श्रेणी के दस्तावेज के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है कि ऐसा दस्तावेज इसका सबूत नहीं है।

महत्वपूर्ण लेख:

- (क) 1.10.2023 को और इसके बाद जन्म हुए निवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ख) * 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की जन्म तिथि अद्यतीकरण के लिए संबंधित राज्यों के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
- (ग) एक दस्तावेज को पहचान के सबूत (पीओआई) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और फोटो शामिल होगा।
- (घ) एक दस्तावेज को पते के सबूत (पीओए) दस्तावेज तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम और पता शामिल होगा।
- (ङ) एक दस्तावेज को पहचान का सबूत (पीओआई) और पते का सबूत (पीओए) दस्तावेज दोनों में तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उसमें व्यक्ति का नाम, फोटो और पता शामिल होगा।
- (च) सहायक दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के आधार में उसी रूप में दोहराया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक का पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम जैसी किसी अतिरिक्त सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (छ) पीओआई, पीओए और पीडीबी दस्तावेज व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए। परिवार के सदस्य/सदस्यों के नाम पर मौजूद दस्तावेजों पर परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन नहीं किए जा सकते हैं।
- (ज) पीओआई और पीओए दस्तावेज नहीं हैं तो परिवार के मुखिया (एचओएफ) आधारित नामांकन का उपयोग किया जाएगा।
- (झ) एचओएफ आधारित नामांकन करने से पहले एचओएफ के पास वैध आधार होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए नामांकन के दौरान एचओएफ को व्यक्ति के साथ मौजूद रहना होगा।
- (ञ) एचओएफ के आधार में उल्लिखित पता परिवार के सदस्य के आधार में उपयोग किया जाएगा।
- (ट) बालक/बालिका (0-5 वर्ष) के मामले में आधार में नाम "बेबी ऑफ..." है तो, पहली बार पूर्ण नाम अद्यतन के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी, जो उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाएगा।
- (ठ) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए आधार अपडेट केवल आधार वयस्क नामांकन केंद्रों पर किया जाएगा।
- (ड) निवासी विदेशी नागरिकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल वीजा की वैधता तक मान्य होगा। हालाँकि, नेपाल/भूटान के नागरिकों के मामले में, जारी किया गया आधार दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ढ) ओसीआई कार्ड धारकों के लिए जारी किया गया आधार केवल दस साल की अवधि के लिए वैध होगा।
- (ण) एलटीवी दस्तावेज धारकों के लिए, जारी किया गया आधार केवल एलटीवी दस्तावेज की वैधता तक वैध होगा।
- (त) जन्म तिथि परिवर्तन के लिए स्व-घोषणा देखें - [*/]
- (थ) कृपया अपवाद हैंडलिंग तंत्र देखें - [*/]
- (द) अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मामले की उचित पड़ताल के बाद ही इस पर विचार किया जाता है।

(ध) सभी दस्तावेज नवीनतम और वैध होने चाहिए (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर) ;"; और

अनुसूची-VI

[विनियम 27(1) (सी) देखें]

प्रपत्र 9: 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आधार नंबर रद्द करने के लिए आधार नंबर धारक द्वारा आवेदन

1.	आधार नंबर या ईआईडी नंबर	
2.	नाम	
3.	लिंग	
4.	माता-पिता/विधिक संरक्षक का नाम	
5.	पता	
6.	जन्म की तारीख	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	प्रमाणीकरण के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय का विकल्प* (कृपया दिल्ली/चंडीगढ़/मुंबई/लखनऊ/ हैदराबाद/गुवाहाटी/रांची/ बेंगलुरु में से किसी एक को चुनें)	
9.	घोषणा	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 3क की उप-धारा (2) के संदर्भ में, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपना आधार नंबर रद्द कराना चाहता/चाहती हूँ। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए ब्यौरे सत्य, सही और सटीक हैं और मेरे बारे में हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अट्टारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के छह महीने के भीतर कर रहा/रही हूँ।
	हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप	
	स्थान	
	तारीख	

* आवेदन भेजने और उसके बाद प्रमाणीकरण के लिए निवासी द्वारा जिन क्षेत्रीय कार्यालयों को चुना जाना है, उनका ब्यौरा यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट यानि www.uidai.gov.in पर दिया गया है।"

सलिल कुमार, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./699/2023-24]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 14 सितंबर, 2016 में, अधिसूचना संख्या 13012/64/2016/लीगल/यूआईडीएआई (2016 की संख्या 2), दिनांक 12 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और अंतिम बार अधिसूचना संख्या एचक्यू-21026/1/2022-लीगल-एचक्यू (ई), दिनांक 29 सितंबर, 2023 (3 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित) के द्वारा संशोधित किए गए थे।

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2024

F. No. HQ-16016/1/2023-EU-I-HQ (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) Amendment Regulations, 2024

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1),—

(a) after clause (fa), the following clauses shall be inserted, namely:—

‘(fb) “electronic form” shall have the same meaning as is assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);’; and

(b) in clause (k), the words “or update of his demographic information or biometric information” shall be omitted.

3. In the principal regulations, for regulation 11, the following regulation shall be substituted, namely:—

“11. COLLECTION OF INFORMATION AT ENROLMENT CENTRE.—(1) THE OPERATOR SHALL CAPTURE—

A. THE DEMOGRAPHIC INFORMATION AS SUBMITTED BY THE INDIVIDUAL SEEKING TO ENROL IN THE APPLICATION FORM SET OUT IN SCHEDULE I; AND

B. THE BIOMETRIC INFORMATION USING ONLY SUCH SOFTWARE AS IS PROVIDED OR APPROVED BY THE AUTHORITY.

(2) UPON PRESENTATION OF ONE OR MORE DOCUMENTS EVIDENCING THE PROOFS REFERRED TO IN CLAUSE (A) OF SUB-REGULATION (1) OF REGULATION 10, THE OPERATOR SHALL—

(a) make a copy in electronic form of every such document;

(b) give the individual seeking to enrol an opportunity to check the accuracy of the information captured under sub-regulation (1) and the copy referred to in clause (a) and shall, after such checking, upload such information and copy to the CIDR;

(c) not make or store a copy of any such document in physical or electronic form, save in accordance with—

(i) clause (b); or

(ii) the provisions contained in any other regulations made under the Act or any policy, procedure, guideline, order, process, standard, specification or other document issued by the Authority;

(d) return such documents; and

(e) provide the individual seeking to enrol an acknowledgement containing the EID and other enrolment details.

(3) the procedures, processes, standards and guidelines to be followed during the enrolment process, and the forms, templates and checklists to be used for carrying out the same, shall be such as the authority may specify in this behalf.”.

4. In the principal regulations, for regulation 16A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“16A. Update of documents or information.—An Aadhaar number holder may, on completion of every period of 10 years from the date of generation of the Aadhaar number assigned to him, update the documents or the information evidencing proof of identity and proof of address as referred to in regulation 10, at least once, by submitting an application in such form set out in Schedule I as is applicable to such Aadhaar number holder or in the online form provided at the website or mobile application of the Authority and—

- (a) undergoing authentication and presenting such documents, in original, at an enrolment centre in like manner as is provided in respect of presentation of documents under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 10;
 - (b) electronically uploading copies of such documents on the website or mobile application of the Authority, in the manner provided for this purpose on such website or application, as the case may be; or
 - (c) giving his consent for electronically obtaining the information evidencing the said proofs from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information,
- so as to help ensure the continued accuracy of his information in the Central Identities Data Repository:

Provided that such presentation, electronic uploading or electronic obtaining shall be subject to the software provided or authorised by the Authority for carrying out the process of update supporting the same.”.

5. In the principal regulations, for regulation 19, the following regulation shall be substituted, namely:—

“19. Update of information of Aadhaar number holder.—(1) Any Aadhaar number holder who seeks to update his information in CIDR at an enrolment centre shall submit an application in such form set out in Schedule I as is applicable to such Aadhaar number holder, undergo authentication and—

- (a) present at the enrolment centre, in original, for verification and scanning, one or more documents evidencing proof of identity and proof of address and, where applicable, proof of date of birth or proof of relationship or both, as the case may be; or
- (b) give his consent for electronically obtaining the information evidencing the proofs referred to in clause (a) from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information:

Provided that such presentation or electronic obtaining of information shall be subject to the software provided or authorised by the Authority for collection of information for such update supporting the same.

(2) An Aadhaar number holder who seeks to update his information in CIDR using the website or mobile application of the Authority—

- (a) shall submit on such website or application, as the case may be, such information as is required to be filled in the online form provided thereat for such update; and
- (b) shall upload on such website or application, copy in electronic form of one or more documents evidencing the proofs referred to in sub-regulation (1), or give his consent for electronically obtaining the information evidencing such proofs from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information:

Provided that such uploading or electronic obtaining of information shall be subject to the software provided or authorised by the Authority for collection of information for such update supporting the same.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), if the Aadhaar number holder has previously updated the information regarding his—

- (a) date of birth once;
- (b) gender once; or
- (c) name twice,

update of such information shall be done only in accordance with such process as the Authority may specify.

(4) A list of documents that may be presented to evidence the proofs referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2) is in Schedule II.

(5) Verification of the information collected as part of the process of update shall be done on the basis of documents specified in Schedule II or electronic information to evidence the proofs referred to in clause (b) of sub-regulation (1) or clause (b) of sub-regulation (2):

Provided that assistance of—

- (a) any Ministry, Department or agency of the Central Government or a State Government; or
- (b) any authority dealing with the preparation or maintenance of such information or documents,

may be taken for the purpose of such verification.

(6) The operator, while collecting information for update at the enrolment centre, shall adhere, *mutatis mutandis*, to the requirements applicable to collection of information for enrolment at an enrolment centre under regulation 11.

(7) On completion of the process for collection of information for update at the enrolment centre, the operator shall provide to the Aadhaar number holder an acknowledgement containing a number to enable him to track the status of processing of the information collected.”.

6. In the principal regulations, in *CHAPTER VI*, below the heading of the said Chapter, the following regulation shall be inserted, namely:—

“26A. Interpretation.—In this Chapter and Schedule VI, unless the context otherwise requires, the expressions “cancel” or “omit”, in relation to an Aadhaar number, shall mean the omission of such Aadhaar number, and their grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly.”.

7. In the principal regulations, in regulation 28A, for the words “from time to time”, the words, brackets and figures “from time to time, the Registration of Foreigners Act, 1939 (16 of 1939) and the orders made and directions given thereunder, or the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) and the rules made thereunder” shall be substituted.

8. In the principal regulations, for “*SCHEDULE I*”, “*SCHEDULE II*” and “*SCHEDULE VI*” respectively, the following Schedules shall be substituted, namely:—

“*SCHEDULE I*

[see regulations 9, 10(1), 16A and 19(1)]

FORM 1: Aadhaar Enrolment and Update

For (a) Resident Indian, or (b) Non-Resident Indian having Proof of Address in India (aged 18 years and above)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1	Purpose: <input type="checkbox"/> Enrolment OR <input type="checkbox"/> Update
2	Resident status: <input type="checkbox"/> Resident Indian OR <input type="checkbox"/> Resident Indian (NRI) { See paragraph 1(c) of the declaration below this form }
3	Demographic information (For update, please fill only the information to be updated): (a) Name: (Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases) (b) Gender <input type="checkbox"/> Female (c) Date of Birth: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> DDMMYYYY OR Age: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Verified OR <input type="checkbox"/> Declared OR <input type="checkbox"/> Approximate (only for age) <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender (For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card) (d) Email: <input type="text"/> (e) Mobile number: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4	Basis of enrolment/update: <input type="checkbox"/> Document verification OR <input type="checkbox"/> Confirmation by Head of Family (HoF)
5	For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented: (Address information should be filled only in case of enrolment or update of address) (a) Address: Care of (optional): House no. / Building / Flat no.: <input type="text"/> Street: <input type="text"/> Landmark: <input type="text"/> Ward no.: <input type="text"/> Area/Locality/Sector: <input type="text"/> Village/Town/City: <input type="text"/> Post Office (mandatory): <input type="text"/> PIN code (mandatory): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sub-district: <input type="text"/> District: <input type="text"/> State: <input type="text"/>

(b) Type of documents presented: <i>(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)</i>	(i) Proof of Identity (POI):
	(ii) Proof of Address (POA):
	(iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):
6 For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:	
(a) Details of HoF:	(i) Name: _____ Aadhaar no.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
(ii) Relationship with applicant: <input type="checkbox"/> Mother <input type="checkbox"/> Father <input type="checkbox"/> Legal guardian <i>Other relationship (only for address update):</i> <input type="checkbox"/> Spouse <input type="checkbox"/> Child/Ward <input type="checkbox"/> ling	
(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented: <i>(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)</i>	
I confirm the identity of the applicant named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the address recorded against my Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the applicant.	
Signature of HoF: _____	
7 For update, additional information:	
(a) Aadhaar number of applicant: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
(b) Information to be updated: Biometric (photo, fingerprints and irises) <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Update of POI and POA documents	
Declaration	
1. I hereby confirm and declare that— (a) all the information and documents submitted is correct to the best of my knowledge and belief; (b) I am entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and (c) I am a resident of India (resided in India for 182 days or more in 12 months immediately preceding my enrolment application) OR I am a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who is not resident of India).	
2. I understand that if the above declaration is found to be incorrect, my Aadhaar number may be deactivated and, in addition, action may be taken against me as per law.	
3. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.	
4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, date of birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.	
Signature of verifier:	Signature / thumb impression of applicant*:
Name of verifier:	Date and time:

* In case applicant is a person with disability, in respect of whom a lawful guardian is appointed and such guardianship extends to providing of the consent sought, such guardian shall present document in support of the same and sign the application.

Instructions for filling Form 1

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
2	Resident status	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
3	<i>Demographic information:</i>		
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt., Kumari, Thiru, Thirumati etc.),	Mandatory

		honorific (Dr, Prof., Sir, Justice, defence service rank, ecclesiastical title, etc.), profession/qualification/service (Dr, Er., CA, Adv., IAS, IPS, IFS etc.) and alias (<i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(1) Please fill details of DOB or age, as applicable. (2) Tick (✓) only one, as applicable, among “Verified”, “Declared” or “Approximate”. (3) “Verified” should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (4) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory for NRI
(e)	Mobile number	(1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional
4	Basis of enrolment/update	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
5	<i>For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:</i>		
(a)	Address	(1) Please fill details as applicable. (2) Filling “Care of” (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same. (3) PIN code and Post Office are mandatory. (4) Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code. (5) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted. (6) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled. (7) In case applicant is NRI and does not have POA for address in India, please use Form 2.	Mandatory
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals. (3) For NRIs, valid Indian passport is the only acceptable POI.	Mandatory
6	<i>For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:</i>		
(a)	Details of HoF	(1) Please fill details as applicable in (i). (2) Please tick (✓) only one, as applicable, in (ii). (3) For HoF-based enrolment, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the applicant. (4) For HoF-based update of address, HoF must be 18 years or more in age and be the applicant’s mother, father, legal guardian, spouse, child/ward or sibling.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
7	<i>For update, additional information:</i>		
(a)	Aadhaar number of applicant	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✓) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. No.	Service	Fee
1	Enrolment	<i>Free</i>
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: <i>Free</i> (b) If done once between the ages of 15 and 17 years: <i>Free</i> (c) If done otherwise: ₹ [*]

3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(a) If done at the same time as update of biometric information: <i>Free</i> (b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹ [*]

* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

FORM 2: Aadhaar Enrolment and Update

For Non-Resident Indian having Proof of Address outside India (aged 18 years and above)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1 Purpose:	<input type="checkbox"/> Enrolment	OR	<input type="checkbox"/> Update
2 Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):	(a) Name: (Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)		
(b) Gender: <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender	(c) Date of Birth: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) OR Age: <input type="text"/> <input type="text"/> years <input type="checkbox"/> Verified OR <input type="checkbox"/> Declared OR <input type="checkbox"/> Approximate (only for age) (For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)		
(d) Email (mandatory): <input type="text"/>	(e) Mobile number: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
3 Basis of enrolment/update:	<input type="checkbox"/> Document verification OR <input type="checkbox"/> Confirmation by Head of Family (HoF)		
4 For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented: (Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)	(a) Address (as given in valid Indian passport): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
(b) Type of documents presented: (See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)	(i) Proof of Identity (POI): Valid Indian Passport (ii) Proof of Address (POA): Valid Indian passport (iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):		
5 For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:	(a) Details of HoF: (i) Name: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Aadhaar no.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	(ii) Relationship with applicant: <input type="checkbox"/> Mother <input type="checkbox"/> Father <input type="checkbox"/> Legal guardian Other relationship (only for address update): <input type="checkbox"/> Spouse <input type="checkbox"/> Child/ward <input type="checkbox"/> Sibling		
	(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented: (See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)		
	I confirm the identity of the applicant named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the address recorded against my Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the applicant.		
	Signature of HoF: <input type="text"/>		
6 For update, additional information:	(a) Aadhaar number of applicant: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	(b) Information to be updated: <input type="checkbox"/> Biometric (photo, fingerprints and irises) <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Update of POI and POA documents		

Declaration

- I hereby confirm and declare that—
 - all the information and documents submitted is correct to the best of my knowledge and belief;
 - I am entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and
 - I am a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who is not resident of India).
- I understand that if the above declaration is found to be incorrect, my Aadhaar number may be deactivated and, in addition, action may be taken against me as per law.
- I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.
- I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.

Signature of verifier:	Signature / thumb impression of applicant*:
Name of verifier:	Date and time:

* In case applicant is a person with disability, in respect of whom a lawful guardian is appointed and such guardianship extends to providing of the consent sought, such guardian shall present document in support of the same and sign the application.

Note: This form may be used on and from the date on which the Authority gives public notice of the same through its website.

Instructions for filling Form 2

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
2	<i>Demographic information:</i>		
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt., Kumari, Thiru, Thirumati etc.), honorific (Dr, Prof., Sir, Justice, defence service rank, ecclesiastical title, etc.), profession/qualification/service (Dr, Er., CA, Adv., IAS, IPS, IFS etc.) and alias (<i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(1) Please fill details of DOB or age, as applicable. (2) Tick (✓) only one, as applicable, among “Verified”, “Declared” or “Approximate”. (3) “Verified” should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (4) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory
(e)	Mobile number	(1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional
3	Basis of enrolment/update	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
4	<i>For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:</i>		
(a)	Address	(1) Details filled should be identical with those given in the valid Indian passport. (2) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.	Mandatory
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals. (3) Valid Indian passport is the only acceptable POI and POA.	Mandatory
5	<i>For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:</i>		
(a)	Details of HoF	(1) Please fill details as applicable in (i). (2) Please tick (✓) only one, as applicable, in (ii). (3) For HoF-based enrolment, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the applicant. (4) For HoF-based update of address, HoF must be 18 years or more in age and be the applicant’s mother, father, legal guardian, spouse, child/ward or sibling.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
6	<i>For update, additional information:</i>		
(a)	Aadhaar number of applicant	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✓) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	Free

2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: <i>Free</i> (b) If done once between the ages of 15 and 17 years: <i>Free</i> (c) If done otherwise: ₹ [*]
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(a) If done at the same time as update of biometric information: <i>Free</i> (b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹ [*]

* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

Note: For despatching of Aadhaar letter to the foreign address of the applicant, such charges shall be payable as the Authority may specify from time to time and display on its website.

FORM 3: Aadhaar Enrolment and Update
For (a) Resident Indian child, or (b) Non-Resident Indian child having Proof of Address in India
(aged 5 years and above and less than 18 years)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1 Purpose:	<input type="checkbox"/> Enrolment	OR	<input type="checkbox"/> Update
2 Resident status:	<input type="checkbox"/> Resident Indian	OR	<input type="checkbox"/> Non-Resident Indian (NRI) {See paragraph 1(c) of the declaration below this form}
3 Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):			
(a) Name: (Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)			
(b) Gender: <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender		(c) Date of Birth: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) OR Age: <input type="text"/> <input type="text"/> years <input type="checkbox"/> Verified OR <input type="checkbox"/> Declared OR <input type="checkbox"/> Approximate (only for age) (For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)	
(d) Email : <input type="text"/>		(e) Mobile number: <input type="text"/>	
4 Basis of enrolment/update: <input type="checkbox"/> Document verification OR <input type="checkbox"/> Confirmation by Head(s) of Family {HoF(s)}			
5 For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented: (Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)			
(a) Address: Care of (optional): House no. / Building / Flat no.: <input type="text"/> Street: <input type="text"/> Landmark: <input type="text"/> Ward no.: <input type="text"/> Area/Locality/Sector: <input type="text"/> Village/Town/City: <input type="text"/> Post Office (mandatory): <input type="text"/> PIN code (mandatory): <input type="text"/> Sub-district: <input type="text"/> District: <input type="text"/> State: <input type="text"/>			
(b) Type of documents presented: (See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)		(i) Proof of Identity (POI): (ii) Proof of Address (POA): (iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):	
6 For HoF-based enrolment or update of demographic information, additional information and documents presented:			
(a) Details of HoF:		(i) Name: <input type="text"/> Aadhaar no.: <input type="text"/>	
(ii) Relationship with the child: <input type="checkbox"/> Mother <input type="checkbox"/> Father <input type="checkbox"/> Legal guardian			
(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented: (See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)			
I confirm the identity of the child named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the address recorded against my Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child and that my biometric information may be used to establish my identity.			
Signature of HoF: <input type="text"/>			
7 For update, additional information:			
(a) Aadhaar number of the child: <input type="text"/>			
(b) Information to be updated: <input type="checkbox"/> Biometric (photo, fingerprints and irises) <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Update of POI and POA documents			

Declaration

1. I hereby confirm and declare that—

- (a) all the information and documents submitted is correct to the best of my knowledge and belief;
- (b) I and the child are entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and
- (c) the child is a resident of India (resided in India for 182 days or more in 12 months immediately preceding my enrolment application) OR that the child is a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who is

not resident of India).		
2. I understand that if the above declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be deactivated and, in addition, action may be taken against me as per law.		
3. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.		
4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.		
Signature of verifier:	Signature / thumb impression of mother, father or lawful guardian:	
Name of verifier:	Name of signatory:	Date and time:

Instructions for filling Form 3

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
2	Resident status	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
3	<i>Demographic information:</i>		
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific (ecclesiastical title, etc.) and alias (<i>urfi</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(1) Please fill details of DOB or age, as applicable. (2) Tick (✓) only one, as applicable, among “Verified”, “Declared” or “Approximate”. (3) “Verified” should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (4) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory for NRI
(e)	Mobile number	(1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional
4	Basis of enrolment/update	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
5	<i>For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:</i>		
(a)	Address	(1) Please fill details as applicable. (2) Filling “Care of” (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same. (3) PIN code and Post Office are mandatory. (4) Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code. (5) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted. (6) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled. (7) In case the child is NRI and does not have POA for address in India, please use Form 4.	Mandatory
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals. (3) For NRI child, valid Indian passport is the only acceptable POI.	Mandatory
6	<i>For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:</i>		
(a)	Details of HoF	(1) Please fill details as applicable in (i). (2) Please tick (✓) only one, as applicable, in (ii). (3) For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
7	<i>For update, additional information:</i>		
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✓) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	Free
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	(d) If done once between the ages of 5 and 7 years: Free (e) If done once between the ages of 15 and 17 years: Free (f) If done otherwise: ₹ [*]
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(c) If done at the same time as update of biometric information: Free (d) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹ [*]

* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

FORM 4: Aadhaar Enrolment and Update

For Non-Resident Indian child having Proof of Address outside India (aged 5 years and above and less than 18 years)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1 Purpose:	<input type="checkbox"/> Enrolment	OR	<input type="checkbox"/> Update
2 Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):	(a) Name: (Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)		
(b) Gender:	<input type="checkbox"/> Female	(c) Date of Birth:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) OR Age: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> years
	<input type="checkbox"/> Male		<input type="checkbox"/> Verified OR <input type="checkbox"/> Declared OR <input type="checkbox"/> Approximate (only for age)
	<input type="checkbox"/> Third gender / Transgender		(For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)
(d) Email (mandatory):			(e) Mobile number: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3 Basis of enrolment/update:	<input type="checkbox"/> Document verification	OR	<input type="checkbox"/> Confirmation by Head(s) of Family {HoF(s)}
4 For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented: (Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)	(a) Address (as given in valid Indian passport):		
(b) Type of documents presented:	(i) Proof of Identity (POI): Valid Indian passport		
(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)	(ii) Proof of Address (POA): Valid Indian passport		
	(iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):		
5 For HoF-based enrolment or update of demographic information, additional information and documents presented:	(a) Details of HoF: (i) Name: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Aadhaar no.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	(ii) Relationship with the child: <input type="checkbox"/> Mother <input type="checkbox"/> Father <input type="checkbox"/> Legal guardian		
	(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented: (See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)		
	I confirm the identity of the child named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the address recorded against my Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child and that my biometric information may be used to establish my identity.		
	Signature of HoF: <input type="text"/>		
6 For update, additional information:	(a) Aadhaar number of the child: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	(b) Information to be updated: <input type="checkbox"/> Biometric (photo, fingerprints and irises) <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Date of Birth		
	<input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Update of POI and POA documents		

Declaration

1. I hereby confirm and declare that—

- all the information and documents submitted is correct to the best of my knowledge and belief;
- I and the child are entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and
- the child is a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who is not resident of India).

2. I understand that if the above declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be deactivated and, in addition, action may be taken against me as per law.

3. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.

4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.

Signature of verifier:	Signature / thumb impression of mother, father or lawful guardian:	
Name of verifier:	Name of signatory:	Date and time:

Note: This form may be used on and from the date on which the Authority gives public notice of the same through its website.

Instructions for filling Form 4

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
2	<i>Demographic information:</i>		
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific (ecclesiastical title, etc.) and alias (<i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(1) Please fill details of DOB or age, as applicable. (2) Tick (✓) only one, as applicable, among “Verified”, “Declared” or “Approximate”. (3) “Verified” should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (4) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory
(e)	Mobile number	(1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional
3	Basis of enrolment/update	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
4	<i>For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:</i>		
(a)	Address	(1) Details filled should be identical with those given in the valid Indian passport. (2) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.	Mandatory
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals. (3) For NRI child, valid Indian passport is the only acceptable POI and POA.	Mandatory
5	<i>For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:</i>		
(a)	Details of HoF	(1) Please fill details as applicable in (i). (2) Please tick (✓) only one, as applicable, in (ii). (3) For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
6	<i>For update, additional information:</i>		
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✓) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	Free
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: Free (b) If done once between the ages of 15 and 17 years: Free (c) If done otherwise: ₹ [*]
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(a) If done at the same time as update of biometric information: Free (b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹ [*]

* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

Note: For despatching of Aadhaar letter to the foreign address of the applicant, such charges shall be payable as the Authority may specify from time to time and display on its website.

FORM 5: Aadhaar Enrolment and Update
For (a) Resident Indian child, or (b) Non-Resident Indian child having Proof of Address in India
(below 5 years of age)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1 Purpose:	<input type="checkbox"/> Enrolment OR <input type="checkbox"/> Update		
2 Resident status:	<input type="checkbox"/> Resident Indian OR <input type="checkbox"/> Non-Resident Indian (NRI) {See paragraph 1(c) of the declaration below this form}		
3 Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):			
(a) Name:	(Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)		
(b) Gender:	<input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender	(c) Date of Birth:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) OR Age: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> years <input type="checkbox"/> Verified OR <input type="checkbox"/> Declared OR <input type="checkbox"/> Approximate (only for age) (For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)
(d) Email:	(e) Mobile number: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
4 Basis of enrolment/update:	<input type="checkbox"/> Document verification OR <input type="checkbox"/> Confirmation by Head(s) of Family {HoF(s)}		
5 For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented: (Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)			
(a) Address:	Care of (optional):		
House no. / Building / Flat no.:	Street:		
Landmark:	Ward no.:	Area/Locality/Sector:	
Village/Town/City:	Post Office (mandatory):	PIN code (mandatory): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Sub-district:	District:	State:	
(b) Type of documents presented: (See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)	(i) Proof of Identity (POI): (ii) Proof of Address (POA): (iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):		
6 For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:			
(a) Details of HoF(s):	(i) Name of child's mother: Aadhaar no. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	AND/OR		
	(ii) Name of child's father: Aadhaar no. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	(iii) If details of only one parent are given, whether the other parent is currently not residing with the child: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	OR		
(iv) Name of legal guardian:	Aadhaar no. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
(v) Relationship with the	<input type="checkbox"/> Mother AND/OR <input type="checkbox"/> OR <input type="checkbox"/> Legal guardian		

child:	Father		
(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented: (See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)			
I/We confirm the identity of the child named above and that she/he is related to me/us as mentioned. I/we hereby consent that my biometric information, or that of either of us, may be used to establish the identity of one of us through biometric-based authentication, and that the address recorded against the authenticated Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child.			
Signature of:	Mother:	AND/OR Father:	OR Legal guardian:
7 For update, additional information:			
(a) Aadhaar number of the child: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
(b) Information to be updated: <input type="checkbox"/> Biometric (photo) <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Update of POI and POA documents			
Declaration			
1. I/We hereby confirm and declare that— (a) all the information and documents submitted is correct to the best of my/our knowledge and belief; (b) I am / we are entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and (c) the child is a resident of India (resided in India for 182 days or more in 12 months immediately preceding the child's enrolment) OR that the child is a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who is not resident of India).			
2. I/We understand that if the above declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be deactivated and, in addition, action may be taken against me/us as per law.			
3. I/We understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.			
4. I/We hereby give my/our consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.			
Signature of:	Mother:	AND/OR Father:	OR Legal guardian:
Signature of verifier:		Name of verifier:	Date and time:

Instructions for filling Form 5

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
2	Resident status	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
3	<i>Demographic information:</i>		
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific and alias (<i>urfi</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(1) Please fill details of DOB or age, as applicable. (2) Tick (✓) only one, as applicable, among "Verified", "Declared" or "Approximate". (3) "Verified" should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (4) For a child born on or after 1 st October, 2023, birth certificate is the only acceptable PDB. (5) If PDB is not available, the child may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory for NRI
(e)	Mobile number	(1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional

4	Basis of enrolment/update	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
5	<i>For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:</i>		
(a)	Address	(1) Please fill details as applicable. (2) Filling “Care of” (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same. (3) PIN code and Post Office are mandatory. (4) Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code. (5) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted. (6) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled. (7) In case the child is NRI and does not have POA for address in India, please use Form 6.	Mandatory
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals. (3) For NRIs, valid Indian passport is the only acceptable POI.	Mandatory
6	<i>For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:</i>		
(a)	Details of HoF	(1) Please fill details as applicable in (i) and (ii). (2) Please tick (✓) only one, as applicable, in (iii). (3) Please fill details as applicable in (iv). (4) Please tick (✓), as applicable, in (v). (5) For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
7	<i>For update, additional information:</i>		
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✓) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	<i>Free</i>
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: <i>Free</i> (b) If done once between the ages of 15 and 17 years: <i>Free</i> (c) If done otherwise: ₹ [*]
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(a) If done at the same time as update of biometric information: <i>Free</i> (b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹ [*]

* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 [ADVT.-III/4/Exty./699/2023-24]

FORM 6: Aadhaar Enrolment and Update

For Non-Resident Indian child having Proof of Address outside India (below 5 years of age)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1	Purpose: <input type="checkbox"/> Enrolment OR <input type="checkbox"/> Update
2	Demographic information (<i>For update, please fill only the information to be updated</i>):
	(a) Name:

<i>(Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)</i>			
(b) Gender: <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender		(c) Date of Birth: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) OR Age: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> years <input type="checkbox"/> Verified OR <input type="checkbox"/> Declared OR <input type="checkbox"/> Approximate <i>(only for age)</i> <i>(For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)</i>	
(d) Email (mandatory): <input type="text"/>		(e) Mobile number: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
3 Basis of enrolment/update: <input type="checkbox"/> Document verification OR <input type="checkbox"/> Confirmation by Head(s) of Family {HoF(s)}			
4 For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented: <i>(Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)</i>			
(a) Address <i>(as given in valid Indian passport):</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
(b) Type of documents presented: <i>(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)</i>		(i) Proof of Identity (POI): Valid Indian passport (ii) Proof of Address (POA): Valid Indian passport (iii) Proof of Date of Birth (PDB) <i>(optional)</i> :	
5 For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:			
(a) Details of HoF(s):	(i) Name of child's mother: <input type="text"/>		Aadhaar no <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	AND/OR		
	(ii) Name of child's father: <input type="text"/>		Aadhaar no <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	(iii) If details of only one parent are given, whether the other parent is currently not residing with the child:		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
OR			
(iv) Name of legal guardian: <input type="text"/>		Aadhaar no <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
(v) Relationship with the child:	<input type="checkbox"/> Mother AND/OR <input type="checkbox"/> Father	OR <input type="checkbox"/> Legal guardian	
(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented: <i>(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)</i>			
I/We confirm the identity of the child named above and that she/he is related to me/us as mentioned. I/we hereby consent that my biometric information, or that of either of us, may be used to establish the identity of one of us through biometric-based authentication, and that the address recorded against the authenticated Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child.			
Signature of:	Mother: <input type="text"/>	AND/OR Father: <input type="text"/>	OR Legal guardian: <input type="text"/>
6 For update, additional information:			
(a) Aadhaar number of the child: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
(b) Information to be updated: <input type="checkbox"/> Biometric (photo) <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Update of POI and POA documents			
Declaration			
1. I/We hereby confirm and declare that— (a) all the information and documents submitted is correct to the best of my/our knowledge and belief; (b) I am / we are entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and (c) the child is a Non-Resident Indian (valid Indian passport holding citizen who is not resident of India).			
2. I/We understand that if the above declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be deactivated and, in addition, action may be taken against me/us as per law.			
3. I/We understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.			
4. I/We hereby give my/our consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the			

purpose of verification.			
Signature of:	Mother:	AND/OR Father:	OR Legal guardian:
Signature of verifier:		Name of verifier:	Date and time:

Note: This form may be used on and from the date on which the Authority gives public notice of the same through its website.

Instructions for filling Form 6

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
2	<i>Demographic information:</i>		
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific and alias (<i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(1) Please fill details of DOB or age, as applicable. (2) Tick (✓) only one, as applicable, among “Verified”, “Declared” or “Approximate”. (3) “Verified” should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (4) For a child born on or after 1 st October, 2023, birth certificate is the only acceptable PDB. (5) If PDB is not available, the child may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory
(e)	Mobile number	(1) Please fill details as applicable. (2) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional
3	Basis of enrolment/update	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
4	<i>For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:</i>		
(a)	Address	(1) Details filled should be identical with those given in the valid Indian passport. (2) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.	Mandatory
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals. (3) For NRIs, valid Indian passport is the only acceptable POI and POA.	Mandatory
5	<i>For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:</i>		
(a)	Details of HoF	(1) Please fill details as applicable in (i) and (ii). (2) Please tick (✓) only one, as applicable, in (iii). (3) Please fill details as applicable in (iv). (4) Please tick (✓), as applicable, in (v). (5) For HoF-based enrolment or update of demographic information, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
6	<i>For update, additional information:</i>		
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✓) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	<i>Free</i>
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	(a) If done once between the ages of 5 and 7 years: <i>Free</i> (b) If done once between the ages of 15 and 17 years: <i>Free</i> (c) If done otherwise: ₹ [*]
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(a) If done at the same time as update of biometric information: <i>Free</i> (b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹ [*]

* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

Note: For despatching of Aadhaar letter to the foreign address of the applicant, such charges shall be payable as the Authority may specify from time to time and display on its website.

FORM 7: Aadhaar Enrolment and Update
For Resident Foreign National (aged 18 years or above)

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1 Purpose:	<input type="checkbox"/> Enrolment OR <input type="checkbox"/> Update	
2 Nationality:		
3 Documents presented in support of nationality and eligibility:		
(a) Details of valid Foreign Passport:	(i) Passport number:	
(ii) Passport expiry date:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY)	(iii) Date of entry in India:
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY)	
AND		
(b) Details of valid Overseas Citizen of India (OCI) card Holder :	(i) OCI number:	
(ii) Date of issue of OCI card:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY)	(iii) e-FRRO Registration number:
OR		
(c) Details of valid Long Term Visa (LTV):	(i) LTV number:	
(ii) Date of issue of LTV:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY)	(iii) Date of expiry of LTV:
		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY)
OR		
(d) Details of valid Indian visa:	(i) Visa type/category:	(ii) Date of issue:
(iii) Date of expiry:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY)
	(iv) e-FRRO Registration number:	
OR, as an alternative to Foreign Passport along with OCI/LTV/Visa, only for nationals of Nepal and Bhutan:		
(e) Types of the two Proof of Identity (POI) documents presented:	(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)	
(i) First POI document:		(ii) Second POI document:
4 Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):		
(a) Name:	(Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)	
(b) Gender: <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender	(c) Date of Birth: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DDMMYYYY) OR Age: <input type="text"/> <input type="text"/> years <input type="checkbox"/> Verified OR <input type="checkbox"/> Declared OR <input type="checkbox"/> Approximate (only for age) (For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)	
(d) Email (mandatory):		(e) Mobile number: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5 Basis of enrolment/update: <input type="checkbox"/> Document verification OR <input type="checkbox"/> Confirmation by Head of Family (HoF)		
6 For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:	(Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)	
(a) Address: Care of (optional):		
House no. / Building / Flat no.:		Street:
Landmark:	Ward no.:	Area/Locality/Sector:
Village/Town/City:	Post Office (mandatory):	PIN code (mandatory): <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Sub-district:		District:		State:	
(b) Type of documents presented: <i>(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)</i>		(i) Proof of Identity (POI):			
		(ii) Proof of Address (POA):			
		(iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):			
7 For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:					
(a) Details of HoF:		(i) Name:		Aadhaar no.: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
(ii) Relationship with applicant: <input type="checkbox"/> Mother <input type="checkbox"/> Father <input type="checkbox"/> Legal guardian <i>Other relationship (only for address update):</i> <input type="checkbox"/> Spouse <input type="checkbox"/> Child/ward <input type="checkbox"/> Sibling					
(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented: <i>(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)</i>					
I confirm the identity of the applicant named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the address recorded against my Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the applicant.					
Signature of HoF:					
8 For update, additional information:					
(a) Aadhaar number of applicant: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
(b) Information to be updated: <input type="checkbox"/> Biometric (photo, fingerprints and irises) <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Update of POI and POA documents					
Declaration					
1. I hereby confirm and declare that— (a) all the information and documents submitted is correct to the best of my knowledge and belief; (b) I am entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and (c) I am a foreign national and resident of India (resided in India for 182 days or more in 12 months immediately preceding my enrolment application).					
2. I understand that if the above declaration is found to be incorrect, my Aadhaar number may be deactivated and, in addition, action may be taken against me as per law.					
3. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.					
4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.					
Signature of verifier:			Signature / thumb impression of applicant*:		
Name of verifier:			Date and time:		

* In case applicant is a person with disability, in respect of whom a lawful guardian is appointed and such guardianship extends to providing of the consent sought, such guardian shall present document in support of the same and sign the application.

Instructions for filling Form 7

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
2	Nationality	Please fill details.	Mandatory
3	<i>Documents presented in support of nationality and eligibility:</i>		
(a)	Details of valid Foreign Passport	Please fill details as applicable.	(a) along with (b), (c) or (d),
(b)	Details of valid OCI card	Please fill details as applicable.	

(c)	Details of valid LTV	Please fill details as applicable.	OR
(d)	Details of valid Indian visa	Please fill details as applicable.	For nationals of Nepal and Bhutan, (e) is mandatory
(e)	Types of 2 POI documents presented	Please fill details as applicable.	
4 Demographic information:			
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Mrs, Shri, Smt., Thiru, Thirumati etc.), honorific (Dr, Prof., Sir, Justice, defence service rank, ecclesiastical title, etc.), profession/qualification/service (Dr, Er., CA, Adv., IAS, IPS, IFS etc.) and alias (<i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(3) Please fill details of DOB or age, as applicable. (4) Tick (✓) only one, as applicable, among “Verified”, “Declared” or “Approximate”. (5) “Verified” should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (6) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory
(e)	Mobile number	(3) Please fill details as applicable. (4) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional
5	Basis of enrolment/update	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
6 For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:			
(a)	Address	(7) Please fill details as applicable. (8) Filling “Care of” (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same. (9) PIN code and Post Office are mandatory. (10) Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code. (11) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted. (12) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.	Mandatory
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
7 For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:			
(a)	Details of HoF	(5) Please fill details as applicable in (i). (6) Please tick (✓) only one, as applicable, in (ii). (7) For HoF-based enrolment, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the applicant. (8) For HoF-based update of address, HoF must be 18 years or more in age and be the applicant’s mother, father, legal guardian, spouse, child/ward or sibling.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
8 For update, additional information:			
(a)	Aadhaar number of applicant	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✓) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. no.	Service	Fee
1	Enrolment	₹ [*]
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	₹ [*]
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(a) If done at the same time as update of biometric information: Free (b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹ [*]

* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

**FORM 8: Aadhaar Enrolment and Update
For Resident Foreign National (aged below 18 years)**

Please follow the instructions given below this form and use only upper case (block or capital) letters.

1 Purpose:	<input type="checkbox"/> Enrolment	OR	<input type="checkbox"/> Update
2 Nationality:			
3 Documents presented in support of nationality and eligibility:			
(a) Details of valid Foreign Passport:	(i) Passport number:		
(ii) Passport expiry date:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (DDMMYYYY)	(iii) Date of entry in India:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (DDMMYYYY)
AND			
(b) Details of valid Overseas Citizen of India (OCI) card Holder :	(i) OCI number:		
(ii) Date of issue of OCI card:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (DDMMYYYY)	(iii) e-FRRO Registration number:	
OR			
(c) Details of valid Long Term Visa (LTV):	(i) LTV number:		
(ii) Date of issue of LTV:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (DDMMYYYY)	(iii) Date of expiry of LTV:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (DDMMYYYY)
OR			
(d) Details of valid Indian visa:	(i) Visa type/category:	(ii) Date of issue:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (DDMMYYYY)
(iii) Date of expiry:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (DDMMYYYY)	(iv) e-FRRO Registration number:	
OR, as an alternative to Foreign Passport along with OCI/LTV/Visa, only for nationals of Nepal and Bhutan:			
(e) Types of the two Proof of Identity (POI) documents presented:	(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)		
(i) First POI document:		(ii) Second POI document:	
4 Demographic information (For update, please fill only the information to be updated):			
(a) Name:	(Please fill as given in the document presented in support of the POI, while omitting any titles, honorifics and aliases)		
(b) Gender: <input type="checkbox"/> Female <input type="checkbox"/> Male <input type="checkbox"/> Third gender / Transgender	(c) Date of Birth: <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (DDMMYYYY) OR Age: <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> years <input type="checkbox"/> Verified OR <input type="checkbox"/> Declared OR <input type="checkbox"/> Approximate (only for age) (For declared or approximate, only year of declared/approximate birth will be printed on Aadhaar card)		
(d) Email (mandatory):		(e) Mobile number:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
5 Basis of enrolment/update:	<input type="checkbox"/> Document verification	OR	<input type="checkbox"/> Confirmation by Head of Family (HoF)
6 For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:	(Address information should be filled only in case of enrolment or update of address)		
(a) Address: Care of (optional):			
House no. / Building / Flat no.:	Street:		
Landmark:	Ward no.:	Area/Locality/Sector:	
Village/Town/City:	Post Office (mandatory):	PIN code (mandatory): <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
Sub-district:	District:	State:	
(b) Type of documents presented:	(i) Proof of Identity (POI):		
(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)	(ii) Proof of Address (POA):		
	(iii) Proof of Date of Birth (PDB) (optional):		
7 For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:			
(a) Details of HoF:	(i) Name:	Aadhaar no.:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
(ii) Relationship with the child:	<input type="checkbox"/> Mother <input type="checkbox"/> Father <input type="checkbox"/> Legal guardian		
(b) Type of Proof of Relationship (POR) document presented:	(See "List of acceptable supporting documents" displayed on the website of UIDAI and enrolment centres)		
I confirm the identity of the child named above and that she/he is related to me as mentioned. I hereby consent that the			

address recorded against my Aadhaar number may be recorded as the address against the Aadhaar number of the child.	
Signature of HoF:	
8 For update, additional information:	
(a) Aadhaar number of the child: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
(b) Information to be updated: <input type="checkbox"/> Biometric (photo, fingerprints and irises) <input type="checkbox"/> Name <input type="checkbox"/> Date of Birth <input type="checkbox"/> Gender <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Update of POI and POA documents	
Declaration	
1. I hereby confirm and declare that—	
(a) all the information and documents submitted is correct to the best of my knowledge and belief;	
(b) I and child are entitled to the documents/information evidencing proofs cited above; and	
(c) the child is a foreign national and resident of India (resided in India for 182 days or more in 12 months immediately preceding my enrolment application).	
2. I understand that if the above declaration is found to be incorrect, the Aadhaar number of the child may be deactivated and, in addition, action may be taken against me as per law.	
3. I understand that the above information may be used, disclosed or shared in accordance with the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and regulations made thereunder.	
4. I hereby give my consent for electronically obtaining information evidencing proof of identity, address, birth and/or relationship from the databases of the authorities dealing with the preparation or maintenance of such information and for sharing the above information and documents with government agencies and/or any such authority, for the purpose of verification.	
Signature of verifier:	Signature / thumb impression of mother, father or lawful guardian:
Name of verifier:	Date and time:

Instructions for filling Form 8

S. No.	Item	Instruction	Mandatory or optional
1	Purpose	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
2	Nationality	Please fill details.	Mandatory
3	<i>Documents presented in support of nationality and eligibility:</i>		
(a)	Details of valid Foreign Passport	Please fill details as applicable.	(a) along with (b), (c) or (d), OR For nationals of Nepal and Bhutan, (e) is mandatory
(b)	Details of valid OCI card	Please fill details as applicable.	
(c)	Details of valid LTV	Please fill details as applicable.	
(d)	Details of valid Indian visa	Please fill details as applicable.	
(e)	Types of 2 POI documents presented	Please fill details as applicable.	
4	<i>Demographic information:</i>		
(a)	Name	(1) Please fill details as applicable. (2) Please omit courtesy title (Mr, Ms, Shri, Thiru etc.), honorific (ecclesiastical title, etc.) and alias (<i>urf</i> , a.k.a. etc.), even if figuring in the document.	Mandatory
(b)	Date of Birth (DOB) or Age	(5) Please fill details of DOB or age, as applicable. (6) Tick (✓) only one, as applicable, among “Verified”, “Declared” or “Approximate”. (7) “Verified” should be ticked if Proof of Date of Birth (PDB) is available and being presented. (8) If PDB is not available, the applicant may give either declared date of birth (DOB) or approximate age, in which case only the year of birth will be printed on Aadhaar card.	Mandatory
(c)	Gender	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
(d)	Email	Please fill details as applicable.	Mandatory
(e)	Mobile number	(3) Please fill details as applicable. (4) In case of a non-Indian mobile number, no SMS / text message will be sent to the same.	Optional
5	Basis of enrolment/update	Please tick (✓) only one, as applicable.	Mandatory
6	<i>For document-based enrolment/update, additional demographic information and documents presented:</i>		
(a)	Address	(7) Please fill details as applicable. (8) Filling “Care of” (C/o) details in the address is optional and no supporting document is required in respect of the same. (9) PIN code and Post Office are mandatory.	Mandatory

		(10) Details of Village/Town/City, Sub-district, District and State will be auto-populated by the enrolment software based on the PIN code. (11) Minor variations in the address as filled from that as given in the POA document may be permitted. (12) Aadhaar letter will be despatched through India Post to the address as filled.	
(b)	Type of documents presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
7	<i>For HoF-based enrolment or update of address, additional information and documents presented:</i>		
(a)	Details of HoF	(1) Please fill details as applicable in (i). (2) Please tick (✓) only one, as applicable, in (ii). (3) For HoF-based enrolment, HoF must be 18 years or more in age and be the mother, father or legal guardian of the child. (4) For HoF-based update of address, HoF must be 18 years or more in age and be the applicant’s mother, father, legal guardian, spouse, child/ward or sibling.	Mandatory
(b)	Type of Proof of Relationship (POR) document presented	(1) The document type should be from among those specified in the “List of acceptable supporting documents”, displayed on the website of UIDAI and enrolment centres. (2) Original documents must be presented. The same shall be returned after making an electronic copy and verifying the same against the originals.	Mandatory
8	<i>For update, additional information:</i>		
(a)	Aadhaar number of the child	Please fill details as applicable.	Mandatory
(b)	Information to be updated	Please tick (✓) one or more as applicable.	Mandatory

Fee for Enrolment and Update Services at Enrolment Centre

S. No.	Service	Fee
1	Enrolment	₹ [*]
2	Update of biometric information (photo, fingerprints and irises)	₹ [*]
3	Update of demographic information (name, gender, date of birth, address, mobile number or email address)	(a) If done at the same time as update of biometric information: <i>Free</i> (b) If done separately, for all or any demographic information: ₹ [*]
4	Update of POI and POA document (evidencing proof of identity and address)	₹ [*]

* As authorised by UIDAI from time to time, under clause (o) of sub-section (2) of section 23 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016”;

SCHEDULE II

[see regulations 10(2) and 19(4)]

List of Acceptable Documents for Enrolment and Update

List of Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for Enrolment for Aadhaar Number of Individual up to Five Years of Age			
✓ means allowed and X means not allowed.			
● Enrolment Type I: Head of the Family (HoF) based enrolment			
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Relationship (POR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and Date of Birth
1.	Birth certificate issued by Authorised Authority (in the respective States) under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	✓	✓
2.	Valid Indian Passport (only applicable for NRIs)	✓	✓
3.	Document to prove legal guardianship	✓	X
● Enrolment Type II: Document based Enrolment			
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (POI) document, containing name and photograph	Proof of Address (POA) document, containing name and address in India
4.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of the shelter home or orphanage concerned)	✓	✓

● Documents applicable for holders of Overseas Citizen of India (OCI) card holder, nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals seeking enrolment			
5.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for individual who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	X*
6.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	X*
7.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	X*
8.	Passport of Nepal/Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, both of the following documents to be submitted: (a) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (b) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission / Royal Bhutanese Mission in India for stay of more than 182 days	✓	X*

* Proof of Address documents as in the list of acceptable supporting documents for Aadhaar enrolment (above five years) will be applicable.

Note: Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—

- It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);
- The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used; and
- The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that such document is not proof of the same.

Important Note:

- For resident Indian and non-resident Indian (NRI) born on and after 1.10.2023, birth certificate is mandatory.
- Head of Family (HoF) based enrolment is mandatory (except for children residing in shelter homes or orphanages and foreign national seeking enrolment) for children below five years of age. Any one of the parents or legal guardian can become HoF.
- HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment.
- Aadhaar number of both the parents is required for HoF based enrolment and biometric authentication by one of the parents is mandatory.
- Name of the child and HoF must be mentioned in the PoR document.
- Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the child's Aadhaar.
- For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- HoF is encouraged to provide any of the following Proof of Identity (PoI) documents issued in the name of the child:
 - Indian passport
 - Photo Identity Card/Certificate with photograph issued by Central Government /State Government, such as Domicile Certificate, Resident Certificate etc.
 - ST/ SC/ OBC Certificate issued by Central Government /State Government
 - Disability Identity Card/Certificate of Disability issued under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017

List of Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for Enrolment for Aadhaar Number of Individual Five Years and above of Age					
✓ means allowed and X means not allowed					
Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (POI) document, containing name and photograph	Proof of Address (POA) document, containing name and address in India	Proof of Relationship (POR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and Date of Birth
32.	Valid Indian Passport	✓	✓	✓	✓
33.	PAN Card/e-PAN Card	✓	X	X	X
34.	Ration /PDS Photograph Card/e-Ration Card	✓	✓	✓	X
35.	Voter Identity Card /e-Voter Identity Card	✓	✓	X	X
36.	Driving licence	✓	X	X	X
37.	Service Photo Identity Card issued by Central Government/ State Government/ PSU/ regulatory body / statutory body	✓	X	X	✓
38.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body	✓	X	✓	✓
39.	CGHS/ ECHS/ ESIC/ Medi-Claim Card issued by Central Government/ State Government/ PSU	✓	X	X	X
40.	Disability Identity Card / Certificate of Disability issued under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017	✓	✓	X	X
41.	Photograph Identity Card / Certificate with photograph issued by Central Government/ State Government, such as under Bhamashah scheme, Domicile Certificate, MGNREGA/NREGS Job Card, Labour Card, etc.	✓	✓	✓	X
42.	Scheduled Tribe(ST)/ Scheduled Cast(SC)/Other Backward Cast (OBC) Certificate issued by Central Government/ State Government	✓	✓	✓	X
43.	Mark-sheet/Certificate issued by recognised Board of Education or university or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	✓	X	✓	✓
44.	Passbook with photograph issued by a Public Sector Bank (as categorised by RBI), duly stamped and signed, along with a supporting certificate from the branch manager in charge certifying that KYC in respect of the accountholder is complete and the proof of address for the address shown in the passbook is available in the bank's record	✓	✓	X	X
45.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	✓	✓	✓	✓
46.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:				
	(i) MP/ MLA/ MLC/ Municipal Councillor	X	✓	X	X
	(ii) Gazetted Officer Group 'A' /Employees Provident Fund Organisation (EPFO) Officer	X	✓	X	X
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group 'B'	X	✓	X	X

	(iv) Gazetted Officer at National AIDS Control Organisation (NACO) / State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)	✓	✓	X	X
	(v) Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of shelter home or orphanage concerned)	✓	✓	X	X
	(vi) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned).	X	✓	X	X
	(vii) Village Panchayat Head/ President or Mukhiya/ Gaon Bura/ equivalent authority (for rural areas)/ Village Panchayat Secretary/ Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	X	✓	X	X
47.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	X	✓	X	X
48.	Water bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
49.	Telephone landline bill/ post-paid mobile bill/ broadband bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
50.	Valid sale agreement/ gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	X	✓	X	X
51.	Gas connection bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
52.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	X	✓	X	X
53.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	X	✓	X	X
54.	Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	X	X	✓	✓
55.	Family entitlement document issued by Central Government/ State Government	X	X	✓	X
56.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer, with signature and seal	✓	✓	X	X
57.	Document to prove legal guardianship	X	X	✓	X
Documents applicable for holders of Overseas Citizen of India (OCI) card holder, or Long Term Visa (LTV), nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals seeking enrolment					
58.	Valid OCI card, along with valid foreign passport, for individual who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	X	X	X
59.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	✓	X	X
60.	Valid Passport of Nepal/Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, any two of the following documents having the same address may be submitted: (ए) Valid Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (ब) Valid Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal/ Bhutan (क) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/ Royal Bhutanese Mission in India	✓	X	X	X

61.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals who have stayed in India for 182 days or more in the immediately preceding 12 months	✓	X	X	X
62.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by FRRO/FRO to the foreign national (except OCI Card holders, LTV document holders and Nepal/Bhutan nationals)	X	✓	X	X

Note: Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—

- It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);
- The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used; and
- The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that the same is not proof of the same.

Important Note:

- For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 01.10.2023, birth certificate is mandatory.
- A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains Name and Photograph of the individual.
- A document is accepted as Proof of Address (PoA) document only if it contains Name and Address of the individual.
- A document is accepted as both Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) document only if it contains Name, Photograph and Address of the individual.
- Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- All the PoI, PoA, DoB documents shall be issued on the name of the individual. Documents in the name of the family member/members cannot be considered for enrolment of the other family members.
- Head of Family (HoF) based enrolment shall be used in case individual does not have PoI and PoA documents.
- HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment. HoF must accompany the individual during enrolment for his / her Aadhaar Authentication.
- The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the family member's Aadhaar.
- For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- All the documents should be latest and valid (except otherwise specified)

List of Documents that may be presented to evidence Proof of Identity, Address, Relationship or Date of Birth for Update of Information in respect of Aadhaar Number Holder of any Age

✓ means allowed and X means not allowed

Sl. No.	List of documents (see note below this tabular statement)	Proof of Identity (POI) document, containing name and photograph	Proof of Address (POA) document, containing name and address in India	Proof of Relationship (POR) document, containing name of child and name of Head of Family (HoF)	Proof of Date of Birth (PDB) document, containing name and Date of Birth
21.	Valid Indian Passport	✓	✓	✓	✓*
22.	PAN Card/e-PAN Card	✓	X	X	X
23.	Ration / PDS Photograph Card / e-Ration Card	✓	✓	✓	X
24.	Voter Identity Card /e-Voter Identity Card, whose details are displayed online on the website of the Election Commission of India or the Chief Electoral Officer concerned	✓	✓	X	X
25.	Driving licence	✓	X	X	X

26.	Service Photo Identity Card issued by Central Government/ State Government/ PSU/ regulatory body / statutory body	✓	X	X	✓*
27.	Pensioner Photo Identity Card / Freedom Fighter Photo Identity Card / Pension Payment Order issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body	✓	X	✓	✓*
28.	Kisan Photo Passbook	✓	✓	X	X
29.	CGHS/ ECHS/ ESIC/ Medi-Claim Card issued by Central Government/ State Government/ PSU	✓	X	X	X
30.	Disability Identity Card / Certificate of Disability issued under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017	✓	✓	X	X
31.	Photograph Identity Card / Certificate with photograph issued by Central Government/ State Government, such as under Bhamashah scheme, Domicile Certificate, MGNREGA/NREGS Job Card, Labour Card, etc.	✓	✓	✓	X
32.	Marriage Certificate with or without photograph issued by Central Government/ State Government (supporting PoI document of old name and photograph is required if the Marriage Certificate is without photograph)	✓	✓	✓	X
33.	ST / SC / OBC Certificate issued by Central Government / State Government	✓	✓	✓	X
34.	School Leaving Certificate (SLC)/ School Transfer Certificate (TC)	✓	X	X	X
35.	Mark-sheet/Certificate issued by recognised Board of Education or university or deemed university or higher educational institution established by a Central or State Act	✓	X	✓	✓*
36.	Passbook with photograph issued by a Public Sector Bank (as categorised by RBI), duly stamped and signed, along with a supporting certificate from the branch manager in charge certifying that KYC in respect of the accountholder is complete and the proof of address for the address shown in the passbook is available in the bank's record	✓	✓	X	X
37.	Scheduled Commercial Bank's (notified by RBI) Passbook having Name and Photograph (cross stamped with Bank seal) and signed by bank official/ Post Office Savings Account Passbook (with stamp and signature of issuing official of post office)	X	✓	X	X

38.	Bank Account Statement/ Credit Card Statement (with Bank stamp & signature of issuing bank official)/ Post Office Savings Account Statement (with stamp and signature of issuing official of post office) (not older than 3 months)	X	✓	X	X
39.	Third gender / Transgender Identity Card / Certificate issued under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019	✓	✓	✓	✓*
40.	Certificate issued on UIDAI Standard Certificate format by:				
	(i) MP / MLA / MLC / Municipal Councillor	X	✓	X	X
	(ii) Gazetted Officer Group 'A'/ Employees Provident Fund Organisation (EPFO) Officer	X	✓	X	X
	(iii) Tehsildar/ Gazetted Officer Group 'B'	X	✓	X	X
	(iv) Gazetted Officer at National AIDS Control Organisation (NACO) / State Health Department / Project Director of the State AIDS Control Society or his nominee (in pursuance of Hon'ble Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No(s). 135/2010 dated 19.5.2022)	✓	✓	X	X
	(v) Superintendent/ Warden/ Matron/ Head of Institution of recognised shelter homes or orphanages (only for children of shelter home or orphanage concerned)	✓	✓	X	X
	(vi) Recognised educational institution (signed by the Head of Institute, only for the institute students concerned)	X	✓	X	X
	(vii) Village Panchayat Head/ President or Mukhiya/ Gaon Bura/ equivalent authority (for rural areas)/ Village Panchayat Secretary/ Village Revenue Officer or equivalent (for rural areas)	X	✓	X	X
21.	Electricity bill (pre-paid/post-paid bill, not older than 3 months)	X	✓	X	X
22.	Water bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
23.	Telephone landline bill/ post-paid mobile bill/ broadband bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
24.	Property Tax Receipt (not older than 1 year)	X	✓	X	X

25.	Valid sale agreement/ gift deed registered with the Registrar Office, or registered or unregistered rent, lease agreement or leave and licence agreement	X	✓	X	X
26.	Gas connection bill (not older than 3 months)	X	✓	X	X
27.	Allotment letter of accommodation issued by Central Government/ State Government/ PSU / regulatory body / statutory body (not older than 1 year)	X	✓	X	X
28.	Life or medical insurance Policy (valid up to 1 year from the date of issue of the Policy)	X	✓	X	X
29.	Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	X	X	✓	✓
30.	Family entitlement document issued by Central Government/ State Government	X	X	✓	X
31.	Prisoner Induction Document (PID) issued by Prison Officer, with signature and seal	✓	✓	X	X
32.	Self-declaration from the Head of Family (HoF) certifying the relationship with the individual residing at the same address as HoF, valid only for borrowing address of HoF. (to be used only for address update of immediate family member/members of HoF)	X	X	✓	X
33.	Document to prove legal guardianship	X	X	✓	X
Documents applicable for holders of Overseas Citizen of India (OCI) card holder, or Long Term Visa (LTV), nationals of Nepal and Bhutan and other foreign nationals seeking enrolment					
34.	Valid OCI card, along with valid foreign passport	✓	X	X	X
35.	Valid Long Term Visa (LTV) document, along with foreign passport (valid or expired), of the country of origin, issued to minorities communities of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)	✓	✓	X	X

36.	Passport of Nepal/Bhutan for nationals of Nepal/Bhutan. In case passport is not available, any two of the following documents having the same address may be submitted: (a) Nepalese/ Bhutanese Citizenship Certificate (b) Valid Voter Identity Card issued by the Election Commission of Nepal/ Bhutan (c) Limited validity Photo Identity Certificate issued by Nepalese Mission/ Royal Bhutanese Mission in India	✓	X	X	X
37.	Valid visa, along with valid foreign passport issued, to other foreign nationals	✓	X	X	X
38.	Valid Registration Certificate or Residential permit issued by Foreigners Regional Registration Office (FRRO) /Foreigners Registration Office (FRO) to the foreign national (except OCI Card holders, LTV document holders and Nepal/ Bhutan nationals)	X	✓	X	X
Documents applicable for exception cases of name, gender and date of birth (DoB):					
39.	For exception cases of name change: Gazette Notification of new name along with any supporting POI document of old name with Photograph (for first/full name change)/Divorce Decree/ Adoption Certificate/ Marriage Certificate	✓	X	X	X
40.	For Exception cases of Gender Change: Medical Certificate from surgeon, in case individual changed gender surgically	✓	X	X	X
41.	For exception cases of DoB Change: Self Declaration as per notified format along with Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder	X	X	X	✓

Note: Any document listed in the above tabular statement shall be acceptable only if it meets the following conditions, namely:—

- It is currently valid (unless otherwise expressly provided for above);
- The person in respect of whom such document is issued is entitled for the same;
- If the information contained in the document is publicly displayed or otherwise accessible to UIDAI online or is verifiable offline through digital means made available by the authority issuing the same, such information is verified if such means are used; and
- The authority issuing the document presented to evidence proof of identity, address, date of birth or relationship has not made any declaration in respect of such category of document that the same is not proof of the same.

Important Note:

- For resident Indian and Non Resident Indian (NRI) born on and after 01.10.2023, birth certificate is mandatory.
- *DoB update of all individual between the age group of 0-18 years mandatorily requires Birth Certificate issued by Authorized Authority of the respective States**
- A document is accepted as Proof of Identity (PoI) document only if it contains Name and Photograph of the individual.
- A document is accepted as Proof of Address (PoA) document only if it contains Name and Address of the individual.

- (e) A document is accepted as both Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) document only if it contains Name, Photograph and Address of the individual.
- (f) Name of the individual as mentioned in the supporting document, will be replicated as such in the individual's Aadhaar. No additional information like parent/guardian first name, middle name and last name will be considered.
- (g) PoI, PoA and PDB documents shall be issued on the name of the individual. Documents in the name of the family member/members cannot be considered for enrolment of the other family members.
- (h) Head of Family (HoF) based enrolment shall be used in case individual does not have PoI and PoA documents.
- (i) HoF must have a valid Aadhaar before performing HoF based enrolment. HoF must accompany the individual during enrolment for his / her Aadhaar Authentication.
- (j) The address mentioned in the HoF Aadhaar will be used in the family member's Aadhaar.
- (k) In case of child (0-5 years) having name as "Baby of" in Aadhaar, the first update request for full name change shall be allowed by submission of Birth certificate issued by Authorised Authority under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, read with the rules made thereunder.
- (l) Aadhaar update for foreigner national will be conducted at Aadhaar adult enrolment centres only.
- (m) For foreign national seeking enrolment, the Aadhaar issued will be valid only till validity of the visa. However, in case of Nepal/Bhutan nationals, the Aadhaar issued will be valid for a period of ten years.
- (n) For OCI card holders, the Aadhaar issued will be valid only for a period of ten years.
- (o) For LTV document holders, the Aadhaar issued will be valid only till the validity of LTV document.
- (p) Please refer Self Declaration for DoB Change — [*]
- (q) Please refer Exception Handling Mechanism — [*]
- (r) Exception handling process is carried out under jurisdiction of UIDAI Regional Offices and considered only after due diligence of the case by the Regional Office concerned.
- (s) All the documents should be latest and valid (except otherwise specified)."; and

SCHEDULE VI

[See regulation 27(1)(c)]

FORM 9: Application by Aadhaar Number Holder for omission/cancellation of Aadhaar Number on attaining the Age of 18 Years

1.	Aadhaar Number or EID Number	
2.	Name	
3.	Gender	
4.	Parent's / legal guardian's name	
5.	Address	
6.	Date of Birth	
7.	Mobile Number	
8.	Choice of one Regional Office for authentication* (Please choose one out of Delhi / Chandigarh / Mumbai / Lucknow / Hyderabad / Guwahati / Ranchi / Bengaluru)	
9.	Declaration	In terms of sub-section (2) of section 3A of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, I hereby state that I want to get my Aadhaar number

		cancelled. I also affirm that details given above are true, correct and accurate and pertain to me. I also confirm that I am making this application within six months of attaining the age of eighteen years.
	Signature or Thumb Impression	
	Place	
	Date	

*The details of the regional offices out of which one has to be opted by resident for sending application and for subsequent authentication, shall be such as is provided at the official website of UIDAI i.e., www.uidai.gov.in.”

SALIL KUMAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./699/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 14th September, 2016, *vide* notification number 13012/64/2016/Legal/UIDAI (No. 2 of 2016) dated the 12th September, 2016, and were subsequently amended *vide* Notification No. HQ-21026/1/2022-LEGAL-HQ (E), dated the 29th September, 2023 (published on the 3rd October, 2023).